

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 281

नई विस्लो, शनिवार, जुलाई 15, 1995 (आवाद 24, 1917) NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1995 (ASADHA 24, 1917)

ENo. 28

🛘 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART IH-SECTION 4]

सिविधिक निकार्यो द्वारा जारो को गई विविध अधिसूबनाएं जित्रमें कि आदेश, शिक्षापन और सुबनाए सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Alvertise again and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय रिजर्व यें क गामीण आयोजना और फणा विभाग केट्टीय कार्यालय बम्बई-400023, दिनांक 26 जून 1995

ग्र. आ. अ. वि. सं० 1468/07.33.01-94/95—मार-सीय रिजर्व व के अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की जपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्ब बौंक इसके द्वारा पाणिडचेरी रोज्य को आपरेटिय बौंक लिमिटेड को दिनांक 20 जुलाई 1995 से उक्त अधिनियम की दूसरी अनु-सूची में शामिल करने का निदंश देता है

आर वी० गुप्ता, उप गवर्नर

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग बम्बई 400023, दिनाक 13 मई 1995 सं० औं० नि० ऋ० वि० 10/08.15.01/94.95—भारतीय रिजर्व ब के क अधिनियम, 1934 (1934 का 2)की धारा 45 ट द्वारा प्रदक्त शाक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शावित्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व व के इस बात सं सन्स्पट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक हैं, एकद-ह्रारा निर्देश जारी करता है कि ''गर्रेंट-बर्रें' किंग कम्पनी (बार्षिन-जियक पत्र के माध्यम से जमाराशियों का स्वीकरण) निद्शावली, 1989 (यथा संशोधित) को इस अधिसूचना की तारीख से निम्नानुसार संशोधित किया जाए यथा :

- 1. परागाफ 3 में वर्तभान उप परेंग (घ) के स्थान पर गिम्न-लिखित को रखा जाए:
 - (ध) 'कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमा के नकदी क्रण घटक" से अभिप्रेत होंगी—एक अथवा अधिक व "किंग कम्पनियां द्वारा नकदी कण सीमाओं के रूप में स्क्षेकत समग् निधि-आधारिक सीमाएं जिनमें अधिकतम अनुमत ब^मक वित्त पर आधारित कार्यशील पूंजीगत आव-रथकताओं को पूरा करने के लिए बिलों की खरीद/ भूनाई के जरिए प्राप्त गीमाएं शासिल डोंगी परन्तू इनमें सारव-पर्यो /गारंटियों जौसी स्विधाएं शामिल नहीं होंगी जिनमें न तो निधियों का वास्तविक विरिद्योग (आउटले) हो और न ही कार्यशील पूंजी प्रयोजनों अथवा परि-

(1121)

योजना वित्तपोषण संबंधी स्थायी आस्तियां/विस्सां के अभिगृहण हेतु ऋण रूप में स्वीकृत ऋण सीमा हो।

े के पिकाशाफ 4 (2), 7 और 11 (5) में "कार्यशील पूंजीगत" रिनिधि आधारित) सीमा" के स्थान पर "कार्यशील पूंजीगत (निधि कार्याहित) सीमा का नकदी क्रण घटक" शब्द रखे जाएंगे ।

आई० टी० वाज कार्यपालक निद्देशक

इला**ष्ट**ाबाद' ब^भेक

प्रधान कार्यालय

कलस्यक्रम-700001, दिनांक 15 जून 1995

का अर्जन एकं अर्ज-लिगल/0279— व कारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एकं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहा- बाद ब क का निद्शाक मंडल भारतीय रिजर्व व क के परामर्श से सथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्थीकृति से इलाहाबाद व क (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने हेतु एतव द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: संक्षिप्त नाम सथा प्रारम्भ :

- (1) इन विनियमों का नाम इलाहाबाद वैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 हैं।
- (2) ये विनियम अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- (3) मौजूदा विनियम संव 49 (2) को निम्मानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

मौज्दा उपबंध का पाठ

संगोधित उपबंध का पाठ

'49(2) प्रवाहण काल के वीरान, काधकारी पुराने या एए तीनातों स्थान पर की परिलक्षियों, इ.सं से जो भी काम हों, प्राप्त करने का पान होगा।''

''पदग्रहण काल के दौरान, अधिकारी स्थानांतरण के रथान पर लागू होने काली परिलब्धियाँ प्राप्त करने का पान होगा।''

> एल० के० तिवारी गुख्य प्रबन्धक (विधि)

ं इलाहाबाद वाँक (अधिकारी) संवा विनियम 1979 में संशोधन से संबंधित पिष्टली अधिस्वानाएं जो भारत के राजपण के भाग 3 राष्ट्र 4 में विम्यालिसिया किथियों को प्रकाशित हाई :---

- (1) 12-9-87
- (2) 31-10-87
- (3) 21-11-87
- (4) 28-11-87
- (5) 12-12-87
- (6) 29-10-88
- (7) 21-7-90
- (8) 28-7-90

- (9) 19.9-92
- (10) 17-8-93
- (11) 9-10-93
- (12) 9-4-94
- (13) 18-2-95
- (14)25-2-95

विनांक 16 जूम 1995

सं० प्रका/विधि/0285— व कारी कम्पनी (उपक्रमा का अर्जन और अस्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रवृत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए इलाहाबार व कि का निवृश्यक मंडल भारतीय रिजर्व व के के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से इलाहाबाद व के अधिकारी कर्मचारी (सेवा मिवृश्य के परचाल प्राइवेट सेक्टर समुरथानों में नाकरी स्वीकार करना (विनियम 1980) आगे इसे मूल विनियम वसा गया है) में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम वमाता है अर्थात —

- (1) ये विनियम इलाहाबाद ब^{**}क अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात प्राइवेट सेक्टर समुस्थानों में नाँकरी स्वीकार करना (संशोधन) विनियम कहे जा सकेंगे।
 - (2) यं विनिधम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख संप्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियम के विनियम 4 को उसके उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा वौर इस तरह पुनः संख्यांकित कित किए गए उप विनियम (1) और उसके परन्तुक के पश्चात निम्निलिख उप विनियम अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थातः
- "(2) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी ने उप विनिधम (1) के अन्तर्गत बोर्ड अथवा, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी को पूर्व संस्वीकृति हेत्, आवेदन किया है, वहां बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को प्राह्वेट समुत्थानों में रोजगार की अनुमति देंगे या फांचारी को सुनवाई का अवसर देते हुए ऐसी अनुमति देने से इनकार कर देंगे।

परन्तु यह कि, जहां बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने के गब्बे दिनों के अन्दर आवेदक को अनुमति अथवा अरग्रीकृति की सूचना नहीं देता तो यह समझा जाएगा कि बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी को प्राह्वेट समुस्थानों में रोज-गार प्राप्त करने की अनुमति दे दी हैं।

परस्तु यह शाँर भी कि जहां बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी ने वर्भवारी से और जानकारी अथवा स्पष्टिकरण मांगा हो, वो अपे-क्षित स्ट्राला अथवा स्पष्टीकरण भेजने में कर्मवारी द्वारा किए गए समय को सब्धे दिनों की उक्त अवधि की गणना के प्रयोजन हेत्, शाधित नहीं किया जाएगा।"

> एल० ६० तिवारी मुख्य प्रबन्धक (विधि)

भारतीय चार्टबं प्राप्त लेखाकार शंस्थान

नई बिल्ली-110002, विनांक 8 मई 1995

मं o 3-एन० सी o ए० (4)/2/94-95- - चार्ट ई प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एनव्द्वारा .यह सूचित किया जाता है कि चार्ट ई प्राप्त लेखाकार अधिनयम 1949 की धारा 20 की उप-घारा (1) (ग) धारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय च र्ट ई प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद में अपने सबस्यता रिजस्टर में से निर्धारित मुल्क न जमा कराने के कारण उनके आग दी गई तिथियों से हटा विया है।

कम सं०	सदस्यता सं ०	नाम एवं पसा	 दिनांक
1.	13555	श्री लक्ष्मी नारायण सरवाना 28, लाल कुंआं, विल्ली-110006	1-10-93
2.	14859	श्री सुरेश जितकारा, ए-1/6, माइल टाउन दिल्ली~110009	1-10-93
3.	17330	श्री राजिन्दर कुमार, डायरेक्टर ओस्वास एग्री मिल्स लि० शरपूर जी० टी० रोड, मुधियाना—141003	1-10-93
4.	17650	श्री मुभाष चन्द* जे~29, लाजपत नगर—3, न\$ विल्ली—110024	1-10-91
5.	80814	श्री ऋष्णन कुमार बश्चवार केयरआफ आर० के० वाध्वन एस-163, घटर फैलाग-2, नई विल्ली-110048	1-10-93
6.	85011	श्री नरेश चन्ध्रा गुप्ता, 575, डी० एल० एफ० कालोनी रोहतक-124001	1-10-93
		(σ	के० मजुमदार,

सचिव

विनोक 12 जून, 1995

सं० 3-एन० सी० ए० (5)/4/94-95--इस संस्थान की अधिमूजना नं० 4-सी० ए० (1)/15/70-71 बिनांक 30-11-70, 3-एन० सी० ए० (4)/3/91-92 बिनांक 14-2-92, 3-एन० सी० ए० (4)/4/92-93 बिनांक 11-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/2/90-91 बिनांक 12-11-90, 3-एन० सी० ए० (4)/2/93-94 बिनांक 7-3-94, 4-सी ए० (1)/20/77-78 बिनांक 13-2-78, '3ई० सी० ए० (4)/5/89-90 बिनांक 23-10-89, 3-एन० सी० ए० (4)/9/85-86 बिनांक 31-3-86, 3-सी० सी० ए० (4)/7/90-91 बिनांक 30-11-90, 3-बब्द्यू० सी० ए० (4)/3/93-94 बिनांक 31-12-93, 3-ई० सी० ए० (4)/1/93-94 बिनांक 1-2-94, 3-सी० सी० ए० (4)/6/91-92 बिनांक 26-12-91, 3-एन० सी० ए० (4)/3/89-90 बिनांक 9-11-89, 3-एन सी० ए० (4)/8/92-93 बिनांक 23-3-93, 3-एन सी० ए० (4)/2/88-89

दिनांक 8-2-89, 3-एन० सी० ए० (4)/10/83-84 विनांक 31-3-84, 3-एन० सी० ए० (4)/3/89-90 दिनांक 9-11-89, 3-एन० सी० ए० (4)/6/91-92 विनांक 11-3-92, 3-एन० सी० ए० (4)/7/92-93 विनांक 26-2-93, 3-एन० सी० ए० (4)/5/92-93 विनांक 29-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/5/92-93 विनांक 29-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/5/92-93 विनांक 29-1-93 के सन्दर्भ में बार्ट्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतब्हारा यह सूजित किया जाता है कि उकत विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रवस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बार्ट्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषय ने अपने सबस्यता रिजस्टर में निम्नलिक्षित सबस्यों का नाम पूनः उनके आगे दी गई निधियों से स्थापित कर विया है।

	`		
	— । सदस्यता > सं०	नाम एवं पता	विनोक
1	2	3	4
1.	6961	श्री विकास अनेस्त्रोंडर ए० सी० ए० जी-69, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-3, नई विस्ली-110048	2-3-95
2.	10154	श्री हरजीत सिंह वृगल एफ० सी० ए० पंजाब एगड सिंध वैंक, 21 दाजे न्डा प्लेस, नई विल्ली-110008	3-1-95
3	11375	श्री स्वतंत्रमा विश्वय जैत, एकः सी० एक 3507, लीप्ट लेक खा० किंग बुड, टो (क्य-77339, मू० एक०.ए०	16-1-95
4.	10779	श्री आसित कुमार झरकार, ए०सी० <i>म् व</i> झाम्रल इंडियासि०, दुखिया फाल (आसाम)	21-3-95
5.	11788	श्री पी० आर० श्लीनिवासन, ए० सी० ए० सी-16 2 फ्लोर सतनाम हाँउस, 19 माहर रोड पासी वाड़ा अंधरी (ई) बम्बई-400099	27-1-95
€.	12638	श्री आत्मा प्रकाश गोयल, एफ० सी० ए० 18, गगन विद्वार विस्तार, विस्सी110051	9-12-94
7.	14186	श्री आनस्य मोहन मेहरा ए० सी० ए० केयर आफ मैसर्स ए० एम० मेहरा एण्ड कं० बो-4 विराग एंक्लेव अपोजिट नेहरप्लेस नई विस्ली	22-2-95
8.	15295	श्री सुधीर रंगनेकर एफ सी०ए० जे०के०सियेटिक्स सि० अम्बादीप बिल्डिंग 8 फ्लोर 1 के जी मार्ग,मई बिल्सी—1	1-11-94
9.	15788	श्री अशोक कुमार गुप्ता, ए० सी० ए०,	2-2-),

बी-116, सेन्टर **5**5

नोएडा-201301

1124		म्म, जुलाइ ^६ 15, 	1995 (आषाद 24 	·, 1911) 1917	1111
1 2	3	4	1 2	3	4
19. 16700	श्री वितय कृमार गुप्ता, ए० सी० ए० 1003, दन्द्र प्रकाश बाराजम्बा रोड, नई दिल्ली—110001	8-3-95	21. 80726	श्री राजेश भूभार नकरा, एक० सी० ए०, एस-95, ग्रेटर कैलाग-2, नई दिल्ली-110948	282-95
11. 20256 12. 21041	श्री एम॰ रामाधन्द्रत, ए० मी० ए० एफ-1/11-डी, एम॰ आई० जी० प हुगै नगर, नई दिल्ली-110064 श्री जगदीश चन्द्रा जोशी, एफ सी०ए०	28-3-95 १ टस, 22-3-95	22. 81070	श्री विनोद कुमार बेमोला, एक० सी० ए, बी-17, बदरपुर बाईन एक्सटेंशन, नई विस्ली-110044	20-3-95
	केयर आफ जे० डी० पांडे 39, केशव रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001		23. 81151	श्री धिरेत्वर कुमार, एफ० सी० ए, हाउम नं ० 586, मैक्टर~12,	21-11-94
13. 23335	श्री राजीव बहुस, ए० सी० ए० डिप्टी मैनेजर (एफ एण्ड ए) इंस्ट्रमेंटणन लि०, 7 फ्लोर, कोर- 6, स्कोप काम्पलैक्स, सोदी प्लेम नई दिल्ली-110003	13-2-95	24. 81184	पंचकुला-134109 श्री विनोद कुमार बाउन्त्रा, एफ० सी० ए, ए फ ० तं० 140, सैस्टर 9, फरीदाबाद	13-12-94
14. 31675	श्री ग्रांगि भूषण गुक्ता, ए० सी० ए० 562, कैलाण टावर—3, ईस्ट आफ कैलाण नई विल्ली—110065	28-12-94	25. 81252	श्री राजीव सामजाल, ए० सी० ए, के० ज्लाक, चौध्ररी विरुडग, कनाट संकेर नई दिल्ली—110001	20-1-95
15. 35780	श्री खुसर बोमी कोालाबाका, ए० सी० ए० वैक्व नेशनल डी पेरिस, हंमालपा, 15, जारायम्बा रोड, नई दिल्ली—110001	17- 2- 95	26 81346	5 . f	30-12-94
16. 53559	श्री प्रदीप कुमार गरोडिया, एफ० मी० ए, हरी प्रीत भपार्टभेंटस, 2 फ्लोर, 33/बी, भानन्द नगर, मोसायटी,	1-10-93	27. 81559	श्रो सन प्रकास गृःता, ए० सी० प्, ८, जी०⊶29, सेक्टर 3, गोहिणी, विल्ली⊶110085	13-3-95
	की० पी० सी० रोड, बडोवरा⊷390005		28 81774	श्री राकेण चन्द्रा, गफ़० मी० ए, चैम्बर नं० 201, चौधरी काम्यलैक्स,	31-1-95
17. 70659	श्री संदीप घीधरी, ए० मी० ए, केयर भ्राफ सेगलेक इ ण्डिया लि०,	31-1-95		9, मधूबन, रोड, विकास मार्ग, विल्ली–110092	
	भूजी23, देविका टावर्स, 6, नेहरू प्लेस, नई विल्ली110019		29. 82189	श्री सतीश कुमार, ए० सी० ए० 1214, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़।	10-3-95
18. 7 0701	श्री अशोक हिन्दिया, ए० सी० ए०, 57/3, खोल्ड राजिल्दर नगर, 3 फ्लोर, नहीं दिल्ली-110060	9-1-95	30. 82205	श्री सुध आसीष वाली, ए० सी० ए०. बिलाइट टच ताहमास्यु इन्टरमेशनल, 1633, द्रोडवे, न्यूयोर्क प्त• वाई 10 बु० एस० ए,	24-1-95 819
19. 7117 [.]	श्रो महेन्द्रा पाल सित्त्, ए० सी० ए, 57, ग्रीन फील्ड, माडल टाउन, लुधियाना160059	15-2 95	31. 82265	श्री अतिल मेहरा, ए० सी० ए, केयर ग्राफ फेयर फ्लैट, 13, 2 क्लोर, फ्रंट, ज्लाक, सागर अपार्ट मेंटस, 6, ति	281194 लक
20. 80693	श्री हरजीत सिंह, एफ० सी०ए, मास्टर दूस्ट लि०, एस० सी० झो० 19, फिरोज गोधी मार्किट, पुषियाना—141001	30-11-94	32. 82527	मार्ग, नई विल्ली-110001 श्री बादर्ग भर्मा; एफ० सी० ए, 10, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर नई विल्ली-110024	20-12-9

विरुली--110007

	2	3	4	1		. 3	4
	82914	भी राजन कपूर, एफ० मी० ए, 334, तजेम्बर जेना टावर1, 'लाट नं० 18, काम्पूनिटी सेस्टर, वजीरपुर इण्डस्ट्रियन एरिया,	20-1-95		<u>2</u> 85227	श्री एंन० गी० मुंबरणेंग, ए० सी० ए,ड केयर घाफ श्री टी० बगद, 10, रिंग रोड लाजपतनगर 4, नई बिस्ली—110024	13-2-95
34.	82991	दिल्ली+110052 श्री सुधीर कुमार काजी, एफ० सी० ए, 2980/1, रणजीत नगर,	4-1-95	46.	85969	श्री दिनेण सूत्र, ए० सी० ए, बी-3/64, सकदरजंग एंतक्लेब, नई दिल्ली-110039	1-2-95
3 5.	83028	मई विस्ली-110008 श्री विजय सिंह मलिक, एफ० सी० ए, 10-बी, नेताजी सुभाषमार्गं ,दरिया गंज,	30 12 94	47.	86170	श्री राकेश गर्पै, ए० सी० ए, एच० नं० 1152, मैक्टर 18 सी, भण्डोगइ—160018	15-3-95
16.	83130	नई विल्ली110002 श्री गिरीण कुमार धग्रवाल, एफ० सी० ए०, 9316, गौणाला रोड, किशन गंज, दिल्ली1100006	31-1. 95	48	87272	श्री गुलशन कुमार, ए० सी० ए०, 301 भोंकार दीप, ए19, मिडल सकिल कनाट प्लेम, नई दिल्ली110001	7-2-95 ,
37.	83249	श्री विनेश कुमार गोयल, एक्ष० सी० ए, क्री~105, गली नं० 5, लक्ष्मी नगर,	30-11-94	49.	88114	श्री राजीव अग्रधाल ए मी०ए० 4800 राम बाजार क्लोध मार्किट क्ल्मी-110006	25-1-95
38.	83950	विल्ली110092 मनिल पाल डांग,	17-1-95	50.	88574	श्री राजीव चौपड़ा ए० सी० ए० बी—11 डबल स्टोरी रमेण नगर नई किल्पी—110015	14-2-95
		ए० सी ाए, जे-134, झार० थी० झाई एनक्लेब, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली-110063		51	88784	श्री अमनजीत सिंह ए मी०ए एच नं० 3067 सेक्टर 37—डी चण्डीगढ़	1-2-95
39.	84033	श्री शता नन्द शर्मा, ए० सी० ए, 24, बलदेव पाक [®] ,	6-2-95	52.		बी134 प्रीत निहार विल्ली110092	31-1-95
4 0.	84623	विल्ली—110051 श्री राजिन्दर सिंह भल्ला, ए० सी० ए, के जी० 1/427, विकासपुरी, नई दिल्ली—110018	6-2-95	53	90025	मिसिज गीता माथुर ए० सी० ए० केयर आफ आई सी आई सी आई टावर 2 जीवन भारती बिल्डिंग 124 कनाट सर्केस मई विल्ली—110001	11-1-95
4 1.	84680	श्री धानन्द प्रकाश शर्मा, ए० सी० ए, ए-189, मोती बाग-1, नई दिल्पी-110021	30-12-94	54	90938	श्रो संदीप पाहवा ए सी० ए 4/73 पंजाबी बाग नई विल्ली—110026	12-1-95
42.	84689	श्री भाषीय कृष्णन व्रिसाल, ए० सी० ए, 412 ए, पाकेट: 2, मंसूर विद्वार, विल्ली—110091	20-12-94			———— q	० के० मञ्जूमदा सचिव
43.	\$4 806	भी मैलेका भाष गृस्ता, एफ० सी० ए, जे-12, प्रसाद नगर, मई विस्ली-110005	10-2-95	बम्बई- 400005 , िष्नांक 3 मई 1995 सं० 3 हक्त्यू० सी० ए० (4) $10/94-95$ — चार्टई प्राप्त लेख कार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एत्त्वहार			
44	84821	श्री भ्रतिल बंसल, ए० सी• ए, 15—ए, कमला नगर, विक्ली—110007	19-1-95	19	49 की धा ग्योग करते	क्या जाता है कि चार्ट्ड प्राप्त लेखा रा 20 की उपधारा 1 (सी) द्वारा हुए भारतीय चार्ट्ड प्राप्त लेखाकार	ष्ट रत अधिका संस्थान परि

षद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में से सदस्यता शुल्क न भरने के

्या गया		सदस्यां के नाम 5 दिसम्बर 94, से इटा	i	2 	3
्र सं० स	सदस्यता संर		10	015418	श्री पांडचा जयोतिन्द्र जनकराज,
					307-66, पार्क्षबुडस, विलेज झाईव,
		3			होनिमस्स, ओन्टेरिओ,
1. 0	00753	श्री कांगा दारा नुसंरवानजी,			केनेडाएम 3 ए2 एक्स 6।
		ि सी० आई० चैंबर्स नं० 43,	11	015815	श्री इधवेरी द्वियाकांत रमणिकलाल,
	5	निया वाळा रोड,			103, पुनम अपार्टमेंट्स,
	ч	म्बई-400020 ।			आर० सी० दत्त रोड, अलकापुर,
2 0	04158	थी सेठ राजाबाब, अम्बालाल,			बड़ दा-390005 ।
2 , 0		शास्त्र राजाबाब, अन्याताल, गर्फतः मर्रेसर्स अरेश कोश्राहण्यक्त करं०,	19	016320	श्री बुजवाला विनोद नवरोजी,
			14	010020	4840, गोल्फ विव कोर्ट,
		नेतान भवन, 10, जे० हाटा रोड, ——: 400020			चारलोट, एम० सी०-028212 ।
1	4	म्बर्-400 ⁰ 20 ।			चारलाट, एन० साठ-020212 ।
3. 0	11689	श्री त्रिवेदी शशिकान्त पुनमचन्द,	13	017838	श्री वोरा अनवरहुस ^भ न अब्दुलकापर
		सं पी० त्रियेदी एण्ड कं०,			वोराबाइ, वोरा मस्जिप के पास,
	1	.327 जादा भगत्स पोल,			जि॰ जूनागढ़, मंग्रील 362225 ।
	₹	गिपा पोल वरीआपूर,	14	020820	श्री रवीशंकर अल्लाद्दी,
		शहमदाबाद-3800 ⁰ 1 ।	• • •	020020	31, मंगलया,
4 0	119099 .	a# 01- 2.			93, बालगोविन्द्दास रोड,
4. U		भी इपवेरी समरण उसीमी,			माहीम, बम्बह ^c -400016 ।
		7/65, सिलवर अपार्टमेंट्स,			
		र्वामजला, शंकर चनैकर मार्ग,	15	021638	श्री राजागोपास,
		भादंबी रोड, दादर,			14, 1ला मजला, योगीसवाकी,
	4	म्बर्ध-400028 ।			100 फुट रोड,
5. 0	12086	श्री सुवाली नलीन शिवाजी,			आनन्द-388001 ।
		न० एस० स्वाली एण्ड कं०,	16	021851	कदु० छीतकला जी०,
		सिआ हाजस, 2रा मजला,	10	021001	द्वारा : श्रीमती सी० महाचंत्रन,
		.37, मोनी स्ट्रीट,			ए/2/आई/31, नामार्ड पार्क,
		म्बई-400001 ।			
		•			सीरा साका, एस० वीव रोड,
6. 0		भी बेंडाले लीलाधर गोकिन्स,			सांताकुज (प)
		ीता अपार्टमेंटस, अशोक नगर,			बम्बई-400054 ।
		8, दासार कालोनी, भांडूप (पू)	17	021930	श्री मुभुकुमार ही०,
	4	म्बई-400042 ।			एसिस्टोट म नेजर,
7 0	13548	भी सलगर शरद नागेश,			सिक्रीकेट केंक, फ्लेंट 105,
., 0.		न सरापर पारपु गान्स, ॉवर अल्युमिनियम (नाईजीरिया),			सौनम रामबाग कालोनी,
		ोव एवं ३, ब्लोसम मिलिटरी रोड,			"ओ" लेन, कल्याण 421304 ।
		ाकरम एवेन्यू, पी० औ० ना क्स-9,		00000	
		केजा लागोस, नाईजीरिया ।	18	022093	कु० सरस्वतराय शरिश्वरन,
					पस है नं 4, भाषन हाऊस टेंपल,
8. 0	13777	श्री शष्पीर हुस ^म न,			सिविल लेन,
	, म	गर्फतः अलाईंड एकाउन्टेंट्स,			नागपुर-440001 ।
	นี	ो० ओ० बाक्स 18366,	10	023602	कु०स्मृतीरेखाजसकर,
	. र्	ीयाद-11415 (सक्तवी अरोबीआ) ।	19	023032	कु० स्मृता रखा अभकर, भारत हाँवी इलोक्ट्रीकल्स लि०,
0 0	15045	A -1 1			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9, U		श्री कोटक भाईसास क्यंतिसास,			इलेक्ट्रीकल मशीन रिपेचर प्लान,
		-6, सहयोग, आर० बी० आई० सोसायटी,			लोट नं \circ इनि. 1 , कास रोह,
	Q	क्सर रोड,बोरीवली (प) 			एम० आई० डी० सी०, अंधेरी,
					Y FRYF .

बम्बई-400092 ।

बम्बई-93।

1	2	3	1	2	3
		श्री गांधी आंम प्रकाश, सोमा टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रियल लि०, राखयाल रोड, अहमदाबाद-380023।	30	028234	श्री करुना कुमार एस० एन० एस० कै०, गौस अधारिटी आफ इंडिया लि०, दर्पन बिल्डिंग, आर० सी० दक्त रोड,
21 (024708	श्री फ्रोबरीक ए० इक्ल्यू० रूम नं० 106, वाई० एम० सी० ए०, सींद्रल कृष्य, 122, एन० पारेख मार्ग, बम्बई-400039।	31	028608	श्री अन्टो एम० पी०, सी-42, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, हार्जीसग सोसायटी, श्री कृष्णा नगर,
22 (024812	श्री लक्ष्मीनारायणन एस०, द्वारा : श्री सुनजू झवेरी,			बोरीवली (पू), बम्बर्ड-400066 ।
23 (025519	1.71 इण्टरप्राइजिस, फोरजेट हील, बम्बई-400036 । श्री परथसराधी बी०,	32	029148	श्री अनन्त शोनाय, सिटी व ^{**} क, एन० ए० शंकर भवन, 1ला मजला, मरीमन पाइन्ट,
	,	13 नयनद्गीप सोसायटी-2, नवयुग कालेज के पीछे, सूरत-395009 ।			230 धेक्बे रिक्लेमेशन, बम्बई-400021 ।
24	025829	श्री कुमार वाई०, 305, सरस्वती को-आप० जे० बी०, नगर, अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400055 ।	33	029358	श्री श्रीधरन आर०, फ्लॅंट नं० 404, जेमिनी चिहिन्हरा, ए/विग, लोवर खरोडी, मार्क रोड, मालाड (प),
25	026147	श्री रमेश एस०, 402-इनी, समम शांताराम, गरोडिया नगर, घाटकोपर, बम्बई-400077 ।	34	030824	बम्बई-400049। श्री नाराधनन के० एल०, सी-42, पांड्यरंग, ए० बी० अनन्त नावर रोड,
26	026348	श्री वेंकटारामानन ए०, एल ट नं० 1, गुरुकृषा अपार्टमेंट, एन० सी० केलकर रोड, वादर (प) बम्बई-400028 ।	35	031181	जुह्, बम्बई-400049 । श्री शोभान टी० पारीख, पलैंट नं० 106, अशोका अपार्टमेंट्स, रु'रठा लेन, 68, नेपेनसी रोड,
97	006006	·			थम्बई-400026 ।
41	บ่องชับ	श्री नेत्रावली गुरुनाथ शंकर, बी/26, दातानी पार्क को-आप० हार्जीसग सोसायटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस, हार्ज्ज, बौरोवली (पू), बम्बर्ड-400066 ।	36	031793	श्री राव अद्योधम प्रकाश, फ्लॉट नं० 11, नोहरित पार्क, सुल्लानगर, पुणे-411040।
n e	096730	श्री श्रीकान्तः जी०,	37	032837	श्री संघवी कमलेश रमनीकलाल, के० आर० संघवी एण्ड क'०, फाइन मेन्सर
20	020700	सीनिचर एक्जीक्य्टिव कोडंपो, को-डंपो हाउन्स, कम्पाल, गौवा-400001 ।			2रा मजला, 203, इन० इन० एन० रोड, फोर्ट, अम्बई-400001 ।
29	027562	शी बालासुबामनीयन, सीनियर आफिससर एकाउंट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०, नं० 83,	38	3 032971	श्री शेटटी रमेश मुद्दू, 20/4, तारदेव ए० सी० मार्केट, तारदेव, बम्बई-400034 ।
		मुनी टावर्स, लोसंडवाला काम्प्लेक्स, के पीछे, यमुना नगर, अंधेरी (प),	39	033418	श्री शाह अनिल इति एम०, पौ० आक्स नं० 11092

क पाछ, पन्द्रस, धम्बर्झ-400058 ।

नौरोबी, केन्या ।

		T		· - · · · ·	
1	2	3	_ 1	2	3
40	038408	कु० वर्मा अनुराधा, अनुराधा एण्ड एसोसिएट्स, सुख सागर, 12 बेसमेंट, इजेस रोड,	50	070111	श्री ज्योति प्रकाश, 3 सी/101, दामोदर पार्क, एल० बी० एस० मार्ग, घाटकोपर (प) बम्बई-400086 ।
41	039996	बम्बई-40007। श्री कृष्ण रामचन्द्रन, वी० शंकर आयर एण्ड क'०, 2-सी कोर्ट चेम्बर्स,			$rac{2}{3}$ श्री श्रीबाम चन्दर, 12 एन दिलवारा 8 , मर्शीच कर्य रोष्ट, कुपरेज, बम्बर्ड- 400021 ।
42	040368	35 न्यू मौरीन लाइन्स, बम्बई-400020 । श्री पौरवाल हिमान्श, जीतमल, 20/79 यशवन्त नगर, गौरेगांव (पश्चिम) ।	52	032467	श्री तलेकर विजय राजाराम, सी-16/5, जीवन बीमा नगर, तरुबान शोभा सोसायटी, बोरीवली (पश्चिम), बस्बई-400092 ।
43	042341	बम्बई-400062 । श्री सालेटोर किशोर मुक्युंद, 13/7, सरस्वत कालोनी,	53	037867	श्री अलमेडिआ धामस लारेन्स नवधर, पोस्ट आफिस के सामने, वसई रोड, धाने-401202 ।
44	044319	साताकुज (प), बम्बई-400034। श्री यजदी केकी खोगोलीवाला,	54	039169	श्री नवाब मोहम्मद झाहेट अबुबकर, सुरम ए $/4$, किस्मत कालोनी, अजबा रोड, बरोडन- 390019 ।
,,	014010	त्रा वजदा कका खापालावाला, वार्ड० के खोपोलीवाला एण्ड कं०, मंचर मंजिल, "बी" ब्लाक, 1ला मजला, 35/सी जयराजमाई लेन, बम्बई-40008।	55	040751	श्री जैन पारस छोटालाल, बी/7, करमयोगा पीपरमेन्ट कम्पाउंड, एल० बी० एस० मार्ग, भांडूप, बम्बई-400078।
45	045936	श्री जांशी वसन्त बलवन्त, अनाघा, फ्ल [*] ट नं० 3, अलकाषुरी, सोसायटी, कोठरुड, फुणे-411029 ।	56	042971	श्री महता जिसेन्द्र नमीनचन्द्र, भी-1, सागर स्वप्न नगर, माहल टाउन के पास, मृतुंह (पश्चिम),
4 6	045949	श्री गोयल दयाकृष्णा, 402-सी 3, सेक्टर 4, शान्ती नगर, जि० ठाणे, मीरा रोड 401109 ।	57	043111	बम्बई-400080 । श्री राजगोपालन टी०, फ्लैंट नं० 41, बि० नं० 67 ए, शुन्दाबन, थाने (पश्चिम) ।
47	046176	श्री कपाडिआ खोजेमा अकबरअली, 1/16-ए, बोरा कालोनी, एम० जी० रोड, कांत्रिकली (प), बम्बइ-400067।			श्री मूर्णित पोनुरी प्रभास, 8, मिनाक्षी स्वास्तीक पार्क, चेम्बूर, बम्बई-400071 ।
48	047199	श्री कुडव कमलेश विनोद, ए/3, चौकसी बिल्डिंग, सामवेदी रोड, बम्बई-7।	59		कुं० रीता भारत शाह, $11/169$, सरदार नगर नं० 4 सायन कोलीवाडा, $\frac{1}{2}$ मार्थन $\frac{1}{2}$
49		श्री सोमानी प्रशान्स, ही 3-74 गूनि फील्ड्स, महाकाली केवस रोड, अंधेरी (पू) बम्बई-400093 ।	60		श्री सातारा हरविकुमार दामजी, जी/2, द्वारकानाथ को-आप० हाउसिंग सोसायटी, जि० थाना होविचली-421201।

एक के**ं मञ्चार**,

सचिध

,	<u></u> -	
1	2	3
61	046360	श्री जैन सूनिल, ही-2/ दीप शिखार सोसायटी, गुन्दर नगर, मालाड (प), प्रस्वर्ज-400064।
62	047056	श्री कावली राजेश हरिस्ताल, हाउस नं० 129, सदर बाजार, होजली, जिल्लासिक-422401 ।
63	047874	श्री भलानी नवनीतकुमार वल्लभदास, रोठ वी० एम० क्योल होस्टल, खुरालदास पारेख मार्ग, माट्रंगा (सी० आर०) वम्बई-400019।
64	031386	श्री एम घ्वी रामनारायन, 56, अपीलो इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्हज रस्ला के सामने, अंधेरी (पूर्व) कम्बर्इ-400083 ।

ए० के० मजूमदार संचिव

विनोक 4 मई 1995

सं० 3-इडस्यु सी ए (4) 11 194-95--जार्टड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा 1 (अ) ब्रारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सवस्यता रिजस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सवस्यों का नाम उनके आगे वी गई तिथि से हुटा विया है।

कम सं०	स व स्यता सं०	नाम एवं पता	दिमांक
1	2	3	4
1.	000124	श्री मानकेश्वर कृष्णा खंवेराव के० के० मानकेश्वर एण्ड कं० किण्जवे, नागपुर	16-1-94
2.	000799	श्री पटेल भाई लाल हरीबाई। मैसर्स बी० एच० पटेल एण्ड कं० 6/7 शिवसागर 5वां शिवाजी पार्क रोड़, बस्बई- 400015	23-12-94
3.	000146	श्री वेसाई नरेण्ड्र नानुभाई नरेण्ड्र एन वेसाई एण्ड कं० 10 भारत हाउस 2रा मंजला, 104, अम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट वम्बई—400001	26-7-94

1	2	3	4
4	035437	श्री रामनाथ बी० चांतभाई एंड जयुभाई फामनवाला वेंबर्स सर पी एम रोड़ फार्ट बम्बर्स-400001	G1-95
5	039152	श्री आपटे राजेन्द्र चंद्रशिखर, दर या री 403 साधु यासवानी नगर , आध्र पुणे-411007	13891

-----देनिक 5 सर्व. (९५5

कलकत्ता--700071, दिनांक 5 मई, 1995 (चार्टके एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (8) 5/94-95--नेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) बी० के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एट्ट्ड्रारा सूचना दी जासी है कि निम्नलिब्दित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाणपन्न उनके आगे वी गई तिथियों से रह समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य करने का प्रमाण पत्र हेतुं वाधिक शुरूक का भृगतान नहीं किया था।

— ऋम सं०	स र स्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक दिनांक
ı	51371	श्री सेनगुप्ता अनिरद्या, ए० सी० ए०, 10, नगेन्द्रा नारायण घरता रोड़, पलैट मं० 2, ब्लाक नं० 4, कलकरता700040	1-10-93
2.	87217	श्री मुरली कल्याणारमम, ए० सी० ए०, फ्लैटनं० 403 कालीमती अपार्टमेंट्स, 24/4, कलीपुररोइ, कलकल्ल-~700027	1-10-93

ए० के० मजूमदार, सचित्र

विनांक 27 मई, 1995

सं० 3-ई०सी०ए० (8)/6/94-95--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खन्ड (तीन) के अनुसरण में एतदृहारा यह धूजित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों के जारी किये गये प्रैलिटस प्रमाणपत्र जनके आगे दी गई तिथियों से रह कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाणपत्र को रहने के इच्छुक नहीं हैं।

ऋम सं०	स व स्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	3755	श्री हल्बर निश्वम,एफ० सी० ए०, पी 49,सी० आई० डी० रोड, स्कीम–6 (एम) कलकत्ता–54	25-3-95
2.	7432	श्री बस्ता श्रतिन्द्रा प्रसाव एफ० सी० ए०, 88, डा० सुन्धरी मोहन एवेन्यु, कलकत्ता–700014	1-4-95
3.	8864	श्री सुराना बाह्यलाल, एफ० सी० ए०, 71—ए/2 अलोपुर रोड़, कलकत्ता700027	23-12-94

1	2	3	4	1	2	3	4
į	11897	श्री पिरमैंका बा बूलाल, एफ० सी० ए० बिरसैचा एण्ड कं०, 36ए, बेटिकट स्ट्रीट, 1 फ्लोर, कलकरता—700069	25-1-95	15	52841	श्री बाह् मुनिल,एफ० सी० ए०, केयर आफ रामेश्वर दास मज़लीराम, गी—II नितपुर स्पृर, कलकत्ता—700007	5 (29)
5	13136	श्री गंगोपाष्ट्याय पंकज कुमार, एफ० सी० ए०, 9, मंगोई लेन, 1 फ्लोर, कलकस्ता–700001 ।	20-9-93	16,	5313 0	श्री तग्दामोहन क्मार, एफः० सी० ए⊹, ए/एम⊷20, वी० एस० एस० नगर भृ वनेण्वर∽7 51004	24-10-94
6.	15031	श्री नहाता सागर मल, एफ० सी० ए०, मैससे एस एम तहाता एंच कं०, 2, क्लाइव घाट स्ट्रीट,	25-1-95	17.	54165	श्री सेठिया प्रकाश कृमार, एफ० सी० ए०, बोपड़ा हाऊम 133, केनिंग स्ट्रीट, रूमनं० 15, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700001	1-+393
7 .	15367	मत्तर इस्टेंट 2 फ्लोर, कलकत्ता-700001 श्री घोष सुत्रसा,एफं० सी० ए०,	19-1-95	18.	54566	श्री दास गुप्ता पार्था एफ० सी० ए०, फलगुनी 58/3, बरिकपारा रोड. पी० ओ० बेहाला	1- 495
		78 भे तला शेड़, टिपनविता. फ्लैट मं∘ डब्स्यु 2/7, कलकरता⊶700027}		1 9.	54582	कलकरसा∽700034 श्रीगुप्ताच्याम सुन्दर, ए० सी० ए०, क्वाटर नं० 1960, टाइप बी,	1-4-9
8.	17175	श्री नहाता हाथी मल, एफ सी ए, ए410, बागरी माफिट, 71, बी झार बी बासुरोड़,	23-12-94			स्वाटर नुष्ठ 1980, टाइप बा, संक्टर ई, बेरखोरा, भेल, भोपाल−462021	
9.	51294	कलकत्ता-700001 श्री सेट विवेक एफ० सी० ए०, 1, बुड स्ट्रीट, फ्लैट नं० 303, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700016	1-4-95	20.	54650	श्री जीन पवन, एफ० सी० ए०, जीन पवन एण्ड एसोसिएट्स गनेश मार्किट, उ पलोर आरनं० ३०५ 58/डी नेताजी सुभाष रोड़ , कलकरता—700001	20-3-93
10.	51328	श्री वामगुप्ता अरूप ए० सी० ए०, 7, मिडल रोड़, कालिया निवास, वेरकपुर, 24~परगनास (एस), नोनाचन्दान पृक्रूर	10-8-94	21.	54967	श्री रोय चौधरी अनिन्दया, ए० सी० ए०, क्लेट ४, एस डब्स्यु, सरोवार, 102, साउचरन एवेन्यु कलकस्ता700029	I 6 -7- 93
11.	51757	श्री सेकसारिया क्रष्णा नुमार, गफ़ सी० ए०, के० के० सेकसारिया एण्ड कं०, 58बी नेताजी सुभाव रोड, 4 फ्लोर, कलकत्ता—700001	25-1-95	22.	55133	श्री बिहानी चन्द्रा किशोर, ए० मी० ए० केयर आफ जी० एस० राठी यी 12/8, करुनामोयी इस्टेट, साल्ट लेक, कलकस्ता-700091	
12.	51773	श्री गोइंका अरूण कुसार, गफ़ सी० ए०, ८, लोयंस रेंज, 5 फ्लोर, कलकरता700001	16-3-95	23.	55332	श्री गुप्ता संजय कृमार, ए० सी० ए०, केयर आफ पारागीन फाइनेंग एण्ड प्लाईवृड इंडस्ट्रीज सि० 135 ए, सी जार एवेन्यु 2फ्लोर, आर नं० 15,	20-2-95
13.	51885	श्री जगतरामका श्रक्षण कृमार एफ० की० ए०, शक्रण कृमार एण्ड कं०,	19-10-94	24.	55622	कलकरता 700007 श्री पतनी महेन्द्रा कुमार ए० सीं० ए०	19→1-95
		1, विलड रोहे हास्टिंग्स, कलकरता-700022		<i>2</i> -		9, इंडिया एसकेंज प्लोक, 4 फ्लोर, आर नं० 7, कलकत्ता-700001	
14.	51966	श्री मुखर्जी राजीय कुमार, एफ० सी० ए० हिट स्कीम 5, टाइप 4 ब्लोकए, फ्लेट 2, सेंट्रल भाके बेलेपोल हानका—711104	8~7-93	25.	56063	श्रीमोहतागिरिराज कुमार, ए० सी० ए०, 62ए, काली फूण्णा टैगोर स्ट्रीट, क्षकत्ता700007	12-12-94

1	2	3	4
26.	56126	श्री वेबाराकोन्डा आमम्बा कुमार, ए० सी० ए०, क्वाटर नं० जी- 18ए स्यू कालोमी जटनी-752050	10-3-95
27.	56194	श्री लाल अजय कुमार, ए० सी० ए०, रूम नं० 302, 3 ब्लोर, 41 नेताजी सुभाच रोड, कलकरता- 700001	1-3-95
28.	56516	श्री मुखोपाध्याय सुबता ए० सी० ए०, 72/बी, बालागम बे स्ट्रीट, कलकत्ता–700006	1-2-96
29.	56720	श्री नियोगी अभिक्षभा, ए०सी० ए०, ए श्रवनैमेंट्स क्वाटर्स, डा० सुन्दरी मोहन एवेन्यु, कलकरक्षा 700014	8 -3- 96
30.	82796	श्री कंकारिया राजेश कुमार, एफ०सी०ए० 33, श्रेबोर्न रोङ, 5 फ्लोर, कलकस्ता–700001	27- 2 - 9
31.	51658	श्री वासतम्ण कृमार, ए० सी० ए०, भोम अग्रवाल एन्ड एसोसिएट्स, 24 आर० एन० मुखर्जी रोड, 3 पलोर, कलकत्ता-700001	31-3-95
32.	54370	श्री अग्रवास निगरधारी लास एफ० सी० ए०, मैंनेजर एच ओ एण्ड किन्टी सेफेटरी, श्री वैद्यमाय सायुर्वेद भवन, 1 गुप्ता लेम, कलकरता—700006	31 ~ 3~ 95
33.	54689	श्री मुखोपाघ्याय भालोक कृमार, ए० सी० ए० विलेज कदुरिया, डिस्ट० 24 परगनास मोर्थ बदुरिया—743401	15-3-95
34.	56557	श्री भट्टाचार्या क्षविजीत, ए० सी० ए०, 21/8, फाल्गुनी भयासन, सेक्टर 3, साल्ट लेक, कलकत्ता–700091	1-12-9
35-	56895	मिस चौधरी सुषमा , ए० सी० ए०, 5ई, जयजयस्ती, अपार्टमेंट्स 2ए, मंडेविस्से गार्डम्स कलकरता—70001ध	31-3-98

मद्रास-600034, दिनांक 10 म**इ** 1995

(चार्टर्ड एकाउन्टौन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/11/94-95— इस संस्थान की आधि-सूचना नं० 3- एस० सी० ए० (4)/4/94-95 दिनांक 22 फरवरी 1995, के रांदर्भ में धार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचिस किया जाता हैं कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में निम्निलिखित सदस्यों का नाम पुनः 5 विसम्बर 1994 से स्थापित कर दिया है।

? सं	० सदस्थता	सं० नाम एवं पत्ता
1	2	3
1	8348	श्री ब ^भ द्यानाधन आर०, ए० सी० ए०, नं० 13 गनापथी कालोनी, 2 लेन, अपोजिट सेनेसोफ रो ड , 2 लेग, मद्रास-600018 ।
2	18632	श्री राजेन्द्रा नाम्बिचार के० टी०, ए० सी० ए० केयर आफ नेपाल प्रोजेक्ट आफिस, आई० टी० सी० लि०, मिकन्न बौकानजी बिल्डिंग, 16 स्ट्रंड रोड, कलकता ।
3	20401	श्री सुरेश कें०, ए० सी० ए०, चार्टक एकाउन्टोन्ट, 15/3 ओलिवर रोड, माइलापोर, मन्नास-600004।
4	20621	श्री एलिजाबंध चेरियन, एफ० सी० ए०, 19, व लेस गार्डन, 2 स्ट्रीट, मद्रास-600006 ।
5	20879	श्री संशाद्री सी० एस०, एफ० सी० ए०, 267, 11 क्रास विल्सन गार्डन्स, बंगलौर-560027 ।
6	20959	श्री सुन्दरंसन बी०, एफ० सी० ए०, 1880, 7ए, मेन रो ड , ई ब्लाक, राजाजी नगर 2 स्टेज, बंगलार-560010 ।
7	21264	श्री आनन्दा कुमार के०, ए० सी० ए०, 763, अन्ना सलाई,

- 7 21204 श्रा आनन्द्रा कुमार क०, ए० सा० ए०, 763, अन्ना सलाई, मन्नास-600002 ।
- 8 22129 श्री नन्दा कर्नार सी०, एफ० सी० ए०, धार्टर्ड एकाउन्टोन्ट, 882, 7 ब्लाक, 2 फेज, बाणासंकारी 3 स्टेज, अंगलार-560085 ।
- 9 2285,7 श्री सुरेश पी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टॅन्ट, नं० 2, चिराक्त विक्रिया, सिरूर-676104 ।

	· - :			···‡ — · , —	EAU AND A
1	2	3	1	2	3
10		श्री व्याकरा रेड्डी एन०, एफ० सी० ए०, चार्ट्ड एकाउन्टैन्ट, 1 फ्लोर, टी० द्याकरा रेड्डी बिल्डिंग, अरोधिन्दो नगर, नेल्लोर-524003।	21	2646	7 श्री रामाकृष्णा थी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, ए-10, "सौजन्या", अपुरूपा टाउनशिप, जीदिमेसला, हैयराबाद-500855 ।
11		भी सुम्ब ^भ या आर०, ए० सी० ए०, पी० ओ० बाक्स नं० 670043 । मजबुका जाम्बिया,	22	26610) श्री गनपथी रामन कै०, ए० सी० ए०, इनारा कं० लि०, रियाद, पी० औ० बाक्स 8326, रियाद 11482,
12	24144	: श्री श्रीकान्थ दी० ए०, ए० सी० ए०, श्रीकालयाना, पुन्कुन्नम, त्रिसूर-680002 ।	23	26649	के॰ एस॰ ए॰। श्री अनजानेयुलु पी॰, ए॰ सी॰ ए॰,
13		श्री हरेंक जोसफ ही मैंस्लों, एफ सींव एवं, 1/6, लक्लोक एवेन्यू, एमव टीव इहन, आकर्लोंड, न्यूजीलोंड।			सीनियर मौर्नजर (एकाउन्टस), श्री ब्लीन्चिंग कौमीक्ल्स (प्रा०) लि \circ , 40/304, भाग्या नगर, कुरनूल- 518004 ।
14		मिस रजिता रेड्डी एस० ए० सी० ए०, 1-2-288/6/4 दोमालगुडा, हेंदराबाद-500029 ।	24	26735	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 36-14-3, साथी नगर, मागेलराजापुरम,
15 16		श्री सुब र एन० कं०, ए० सी० ए०, पी० ओ० बाक्स-6600, फल आयल कं० लि०, शारजाह, यू० ए० ई०। श्री राजन एस०, ए० सी० ए०,	25,	27303	विजयवाड़ा-520010 । श्री मुरली एन०, ए० सी० ए०, नं० 1243, विजिना पुरा, ए ब्लाक, विद्यान्द्र के आर पुरम रेलवे स्टेशन, वंगलौर-560016 ।
		केयर आफ अलागेन्द्रन फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कंठ लिठ, 182 डी नार्थ वेली स्ट्रीट, मदुराई-625001 ।	26	27396	श्री स'चन्द्र फिरोज पीर, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भी-203, बी० आर० अपार्टमंट्स,
17	25040	श्री रंगाराजन एस०, ए० सी० ए०, चीफ एकाउन्टेन्ट,			11-4-634 ए० सी० गार्डसः, होदराबाद-500004 ।
		केयर आफ मस्कट ओवरसीज आयल एण्ड गाँस, पी० ओ० बाक्स नं० 656, पोस्ट 112 मुस्क, सल्तनत आफ ओमान ।	27	27786	श्री भानुमधी एन०, ए० सी० ए०, प्लाट $54,\ 12$ स्ट्रीट, स्रेक्टर 2 , फ्रें० कें० मन्नास- 600078 ।
18		श्री गोस्लापुडी विश्वेश्वरा राव, एक० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टीन्ट, अम्बल विरिट्टग 2 फ्लोर, 727 माउन्ट रोड, मद्रास-60006 ।	28	28236	श्री सत्त्वानारायना कं०, ए० सी० ए०, फाइनेन्स मौनेजर, कपोल, चिराला-523165 ।
19		श्री संकरानारायनन वी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टौन्ट, श्रीनिधि, 550, के० के० नगर, मदुराई-625020 ।	29		श्री हरी आर, ए० सी० ए०, पी-53, 7 म"न संकटर 10, एन० आई० सी० कालोनी, जीवन बीमा नगर, बंगलोर-560075।
20		श्री ओमप्रकाश के०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टोन्ट, ''आइर्स'' करापरम्या, कोजीकोड-673010 ।	30		श्री नटराजन केंo, ए० सीo एo, "आरo एo केo इल्लम", प्लाट नंo 94, 4 मेन रोष्ट, श्री अख्यत्या नगर, मद्रास-600111 ।

1	2	3	1	2	3
31	28681	श्री राजा मनिक्कम कं० जी०, ए० सी० ए०, 25 एम जे० एल० एन० थम्बी अब्दुल्लाह सातु, सातु 50470 कोला लम्पुर, मलेशिया ।	41	201369	श्री प्रभाकरन एस०, ए० सी० ए०, नं० 48/7, फस्ट कास, क्शीम्ब्ज लंआउट, जलसूर,
32	29163	श्री राव किशन ए, ए० सी० ए०, नं० 6, रोन्नी मनोर, आर्थ समाज रोड, बालभट्टा, मंगलौर-575003 ।	42	201640	बंगलार-560008 । श्री रवि एन०, ए० सी० ए०, चार्ट्ड एकाउन्टॉन्ट, 114 के 266, माउंट रोड,
33	29192	श्री कोथुरी श्रीनिवासा राव, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टोन्ट.	40	000207	महास-600018।
		कम नं० 23, श्री बसाबी मार्कीट, बन्डला बाजार, गुन्दूर-522003 ।	43	202387	श्री जिष्कस हुस ⁴ न पी० के०, ए० सी० ए०, ''प्रतीक्षा'' मलाप्यस्म डिस्ट०, एरामंगलम-679587 ।
34	29596	श्री रामाकृष्णा रेडही आर०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 7/4/1, 2 फ्लॉर, 5 ब्लाक 59 क्रास,	44	202443	3 श्री बैंकटा रमना मेका, ए० सी० ए०, 12-12-204 रविन्द्रा नगर, सीताफलमुंडी सिकन्दराबाद-500361 ।
		नियर भाष्यम सर्विल, बंगलाँर-560010 ।	45	203088	श्री रमेश जै०, ए० सी० ए०, असिस्टेंट म ^भ नेजर इंटरनल आडिट,
35	29630	श्री रश्मी आर० परेख, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टौन्ट, 311, राजेन्द्रा अपार्टमेंटस,		-	वेंकटेश्वरा होचीयर्स लि०, 9 फ्लोर, सी विंग मित्तल टावर्स, बंगलौर ।
36	29810	158, बरीच रोड, कील्लीज, महास-600010। श्री शिवासुन्दर जी०, ए० सी० ए०,	46	230195	श्री सेल्वा गनेसन पी, ए० सी० ए०, 8, इनुमार कोइल स्ट्रीट, वैस्ट मम्बालम, महास-600033 ।
		प्लाट नं० 211, श्रीपुरम कालोनी, हैंदराबाद-500036 ।	47	2496	श्री बालासुब्रामनियन श्रीनिवासा, एफ० सी० ए 105, व्हरी एम स्ट्रीट, माइलापौर,
37	73055	श्री श्रीनिवास चित्ता, ए० सी० ए०, 1-2-288/17, डामालगृहा,	48	7173	मद्रास-600004 । श्री सुष्टारायन बी० बी०, एफ० सी० ए०,
8	200419 [.]	श्री प्रभूदंव एल, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टमेन्ट,			वार्टर्ड एकाउन्टौन्ट, 33, कृष्णासिद्ध लेन, उलसूरपेट, बंगलौर-560002 ।
		332, 5 मौन, वौस्ट आफ चोर्ड रोड; 2 स्टोज, महालक्ष्मीपुरम, वंगलौर-560086 ।	49	18838	श्री अन्द्रुलरहीम सी० एच०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 2/171, इहापल्ली,
9	200472	श्री विश्वानाथन एस०, ए० सी० ए०, ब्लाक "सी" 2, न० 3 कुप्प या स्ट्रीट,		404-5	कांचीन-682024 ।
		राज अपार्टमेंट्स, महास-600033 ।	50	19156	श्री गुणनधरा राथ मैका, एफ० सी० ए०, 6-1-68/2, सफाबाइ, हैंदराबाइ-500004 ।
0	20128 9	श्री रमेश बाब् वी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टॉन्ट, 17 बेल नगर (गियर हो० ए० वी० स्क्ल),	51	19245	श्री पसानी बचा एस, एफ० सी० ए०, बार्टर्ड एकाउन्टॉन्ट,

1	2	3	1	2	3
52	19 5 36	श्री शंकरा राजागोपाल, ए० सी० ए०, म ^भ नेजर (आपरेशन्स), आन्ध्र व ^भ क गुन्दूर मेन बांच, लक्ष्मीपुरम मेन रो ड , गुन्दूर-522007 ।	62		श्री राघवन एम० वी० एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टौन्ट, नं० 10, कलाइभगल स्ट्रोट, 4 कोस गांधी नगर, टीचर्स कालोनी, मन्नास-600051 ।
53 54		श्री रिव एम०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टीन्ट, शौल माफिटस (एम० ई०) लि०, पी० ओ० वाक्स-307, दुवई, यू ए ई । श्री पार्था सार्थी जी०, एफ० सी० ए०,	63	25032	श्री बिल्ल्थुवा दांस डब्ल्यू ए. पी., एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टोन्ट, 672/ एल पेनियल काम्प्लंक्स, आर० टी० औ० रोड, फेज 2, सथुवाचारी, बेल्लोर-632009 ।
		चार्टर्ड एकाउन्टोन्ट, नं० 4, अलामेलुगंगापुरम, माह्लापोर, मद्रास-600004 ।	64	26298	श्री जयासंकर आर०, एक० सी० ए०, चार्टर्क एकाउन्टेन्ट, जं० वी० एल० आरकेड 3 फ्लॉर, 199, नार्थ उस्मान रोड, टी० नगर,
55	4040 5	श्री बेंक्ट्रोश एस०, ए० सी० ए०, चार्ट्ड एकाउन्टौन्ट, 52/बी, 3 ज्ञास, जनीलस्ट कालोनी, बंगलौर-560002 ।	65	27037	महास-600017 । श्री मिस जनानी राधाकृष्णन, एफ० सी० ए०, चार्टक एकाउन्टीन्ट,
56	20655	श्री लक्ष्मणा राव एम०, ए० सी० ए०, 307, पेन्नी स्ट्रीट,	C.	001014	'द्वारका" 87, 6 मेन रोड, मालेश्वरम, वंगलौर-560055 ।
57	21291	गार्नर एन० सी० 27529, यू० एस० ए०। श्री अंटोनी जोसफ, एफ० सी० ए०,	66	211/4	मिस सुजाथा सुदर्शन, ए० सी० ए०, $139/6-1$, डोमलुर एक्सटेंशन, बंगलौर- 56071 ।
58	21489	धेक्केकुट्टी, इस्युमपरम्पू, पोनकुन्नम-686506 । श्री पद्मानाभन सी० के०, एफ० सी० ए०,	67	27460	श्री अजीध कुमार, केंठ एठ पीठ स ^{म्} न्टर, आरठ एसठ रां ड, अल बर्ड ।
		चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कं० बी० आर० काम्प्लेक्स (अपटेर्स), नियर आर० के० होस्पिटल, नेताजी बाह्यास रोह, धर्मापुरी-636701 ।	63	25032	श्री विरूथुवा दांस डब्स्यू ए० पी०, चार्टर्ड एकाउन्टीन्ट, जनरत मीनेजर (फाइनेन्स), बुल पावर सिस्टम्स (पी) लि०, 6-3-347/1-ए द्वारकापुरी कालोनी,
59	21754	श्री अच्यास्त्रामी सी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टोन्ट, 312, अरीसा कार्नर, स ^भ क्टर 17, वासी, नई बम्बई-400705।	69	27957	हैंदराबाद-500482 । श्री वैद्यानाथन आरण, ए० सी० ए०, चार्ट्ड एकाउन्टैन्ट, 147, वैसस रोड, त्रिप्सीकंन, महास-600005 ।
60	23174	श्री शोषागिरी कें० बी०, एफ० सी० ए०, चार्टक एकाजन्दौन्ट, 735 ओपनकारा स्ट्रीट, 3 फ्लोर,	70	27992	श्री गिरिधर एस० बी०, ए० सी० ए०, अर्नस्ट एण्ड यंग, पी० औ० बाक्स 140, मनासा, वेहरेन ।
61	23638	क्षेयम्बद्र-641001 । श्री अम्मांगी यू० जी०, ए० सी० ए०, चार्ट्ड एकाउम्टेन्ट, 1938, कवालकर गर्ली, भेलगांव-590002 ।	71	28161	श्री म ⁴ ध्यू बरघीज, ए० सी० ए०, म ⁴ नेजिंग हायरेक्टर, जो०/ई०/एस० माइक्रोस सिस्टक्स लिठ, कन्नाकुलंगारा, त्रिपुनिथुरा-682301 ।

1	2	3	1	2	3
72 73		श्री बैंक्टेश्वरा राज एन०, ए० मी० ए०, बार्ट्ड एकाउन्टेन्ट, भी नंग 14, 3 फ्लोन, स्निटी झाउम, एजिडस, हेन्सवान-500001 । श्री असम कुमार आर०, एफ० सी० ए०,	82		श्री मनी जीं० सीं० एस०, ए० सीं० ए०, चार्ट्ड एकाउन्टोन्ट. गजैट नं० 111, विजया मेंसन, 1 मौन, 2 स्टोज भार० ष्टी० एल० लेजाउट. विजया नगर, बंगलौर-560040 ।
	20210	चार्ट्स एकाउन्टैन्ट, ज्याद नं 180, चिन्धाभनी स्ट्रीट, अलवर धिरूनगर, मन्नास-600087 ।	83	38239	श्री कृतियाक्षेज के० पी०, ए० सी० ए०, केवर आफ बिट्टानिया इंडस्ट्रीज लि०, एम० टी० एच० रोड, पादी, मद्रास-600050 ।
74		श्री वंकटेश एस०, ए० सी० ए०, बी 6 डी 28. अजाकोय स्टेनबुल, तुर्की।	84		श्री कृष्णन रामाचन्द्रन, ए० सी० ए०, 9/22, जीनता फ्लास्स, टी०एम०एम० स्ट्र बन्नाउदुराई थिरुवानियूर, मद्रास-600041 ।
75	28372	श्री शुभंच आर० एस०, ए० सी० ए०, चीफ एकाउन्टैन्ट, मोर्डन पोल्टी फार्मस कं० सोग, पोस्ट बाक्स 2598 पोस्टल कोड 112, सल्तनत आफ ओमान ।	85	41134	श्री क्लेप्पिकर योगिन मोहन, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, बी-3, कृष्णा रोड, मालेश्वरम, बंगलॉर-560003।
76		श्री अलावला कोटी रेह्ही, ए० सी० ए०, लिय-1-59, उन्था नगर, न्यू बी के० गुना, हैं दराबाद-50038।	86	50079	श्री ब्हमदेव प्रसाद गुप्ता, ए० सी० ए०, हिप्टी जनरस मौनेजर (फाइनेन्स) आई० आई० सि०, सी 2126 साउथ एथेन्यू, आई० टी० आई कालोनी, दूरवाणी नगर.
77	29345	मिस उमा देवी के०, ए० सी० ए०, 3 बी सरधा, 3 ए, वेरन रोड, माइलापोर, महास-600004 ।	87	50205	कालाना, प्रवाणा नगर. वंगलार-560016 । श्री विन्द्रा दीपक राज, ए० सी० ए०.
78	29457	श्री जर्थेन्द्रन एम०, ए० सी० ए०, भार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 21 बी, गुलमोहन अपार्टमेंट्स, 15 सी, साउथ बाग रोड, टी नगर,			वर्चस्ट हंटरनेशनल इंडिया, (डिवीजन आफ पॉन्डस (आई) लि०,), प्लाट नं० 6, साकी विहार रोड, साकी, बम्बई-400072 ।
79	29612	मद्रास-600017। श्री गोविन्दराजुल, पी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, जे-161, 2 फ्लोर, आटो टाबर्स,	88	86067	श्री चिसा वेंकटा चाइनुलु, विश्वनाथ, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टोन्ट, 7-2-28/4/5 अमीरपेट, इंप्टाबाइ-500016 ।
80	29800	नं० 9, जे० सी० रोह, बंगलौर-560002 । मिस टाहिकोन्डा सुम्बा लक्ष्मी, ए० सी० ए०, 1-10-157, अशोक नगर, होनुराबाद-500029 ।	89	87199	श्री अमित कुमार गांधी, ए० सी० ए०, मौनेजर, सिटी बैंक, एन० ए०, 5 फ्लोर शिक्त टावर्स, 768, अन्ना सलाई, मद्रास-600002।
81	31197	श्री कान्नन एम०, ए० सी० ए०, नार्टर्ड एकाउन्टौन्ट. 20, नार्टन अपार्टमेंट्स, नार्टन रोड, मंडावेली, महास-600028 ।	90	2002 9 5	श्री कुमार एस०, ए० सी० ए०, नं० 2, गवर्नमेंट कालेज एजुकेशन, कम्पस क्वाटर्स, टीचर्स कालेज, सन्दार्पट मद्रास-600015।

1 2	3 4	सदस्यो है ।	कानाम '	पुनः उनके आगे दी गई। तिथियों से स	यापित कर वि या
91 20063	6 श्री फनिन्दर नाथ पी० एस०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्ट ^भ न्ट,		 सदस्यता मं ख् या	नाम एवं पता	 दिनां क
	\cdot लाट नं o 61 , अवधी नगर, बशीरबाग, $artheta$ राबा $artheta$ 500029 ।	1.	18249	र्था गीपानास्वामी केव, एव सीव एव,	13 3-95
92 20119.	5 श्री सूर्यनारायणा पी०, ए० सी० ए०, वार्टर्ड एकाउन्टौन्ट, क्यर आफ पी० एस० गगवानुलु,			केयर ओफ अल रीफ एल एस सी, पीठ बीठ मंठ 418, गादीबात फबूस, पोस्टल कोठ 115, सलतनत आफ ओमान	
	18-82/4 सी, प्लाट नं० 215 , हनुमानपेट मलकाजिंगरी, हैंदराबाद- 500047 ा	2.	18984	श्री गोपाला वेसीकन आर 0, ए० सी० ए,० 26, श्री कामाघेनू नगर, अवरामपलायाम, कोयम्बटूर−641006,	10-3-95
93 20159	9 श्री अनंधापतमानाभन जी०, ए० सी० ए०, एफ-3, एस० एस० 3 फ्ल [*] ट्स नं० 14, गांधीनगर, 2 क्रीसेंट पार्क रोड, अक्यार, महास-600020।		24225	श्री शिवारामाकृष्णन, आर०, ए० सी० ए०, केयर ओफ डा० टी० आर० सुवामियम, 90, 3 स्ट्रीट, टाटाबाब, कोयम्बटोर-641012	2 7-3- 95
94 20 23 8	3 श्री भारगवा सिरम एल० पी० एस० एन०, ए० सी० ए०, 2-12-23, उर्वसी विस्तिका, गांधी नगर, तेनाली-522201 ।	4.	28502	औ जोजें के बरधीन, ए० सी० ए०, अलाप्पत हाऊस, उरालननुकर पी० ओ०, अपोजिट आदत पंचायत आफिस, तिसूर-680551	1-3-95
95 20266	3 श्री गौपालकृष्णा गुप्ता ई० एस०, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टौन्ट,	5.	29036	श्री गीबिन्धा राज जे∘, ए० सी० ए∘ , 248, माउन्ट रो ^ह , मद्रास⊶600006	24-3-95
96 20284	283, 9 भेन शोड, 2 क्रास, हन्द्रमंथानगर, बंगलौर-560019 । 7 श्री गोपीनाथ कृष्णन, ए० सी० ए०,	6.	39361	मिस गीता रामाकृष्णन अयर, ए० सी० ए०, बी—3, ग्रिन्चज गार्डन्स, 1 डेंडोज रोड, मन्नास—600002	10-1-95
	8/1, सुस्तान पलाया 1 म [*] न, आर० टी० नगर, पी० ओ०, बंगलौर-560032 । ए० के० मजुमदार,	7.	44417	भिस रमा पी०, ए० सी० ए०, पलैट गं० 301, बासाजी अपार्टमेंट्स, आनन्द नगर, खैराताबाद, हैवराबाद-500004	24-11-94
मद्रास-	सिवव 	8.	53262	श्री एपारी कृष्णा भोहन, ए० सी० ए०, रीडिंग एण्ड बेट्स एक्सप्लोरेशम कं०, भवानी मैंसन, 2 फ्लोर 3, 4 लेन, नण्णम्बक्कम हाई रोड, मद्रास-6000031	20-3-95
० 3-एस० सी० १० सी० ए० (१० ए० (4)/3/ ० ए० (4)/3/	ए० (5)/12/94-95इस संस्थान की अधिसूचना ए० (4)/3/93-94 दिनोक 11 जनवरी, 1994, 3- (4)/3/92-93 दिनोक 27 नवस्थर 1992, 3डब्स्यू 93-94 दिनोक 1 दिसम्बर 1992, और 3-डब्स्यू 93-94 दिनोक 2 दिसम्बर 1993 के सन्दर्भ में जाटंडें जिनियम 1988 के विनियम 20 के अनसरण में एतद-	9.	71370	श्री महेन्द्रा धुमार, ए० सी० ए०, केयर ओफ मवन सिंघीची राठोर, 5/17, चापारनी हाउसिंग बोर्ड, 5 पुलिया, जोघपुर	5-1-95

प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतव्-

द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा

प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टक प्राप्त लेखाकार

संस्थान परिषद् ने अपने सवस्यता रजिस्टर में निम्मिलिकित

ए० के० मजूमधार, स**वि**व

जोधपुर

व इस्टीचाट आफ कास्ट एंड वक्स एकाउटन्ट्स

कलकत्ता-700016, दिनांक 26 मर्घ 1995

स. 11-सी **ड**ब्ल्यू आर (148-50)/95--द कास्ट एण्ड यप्तसी एकाजन्द्रोन्ध्रम विनियमन् 1959 को उप-विनियमन् (3) का अनुसरण करते हुए। एतद्दुनारा यह। अधिसूचित जाना है कि पेशेवर के रूप में कार्य करने होत् प्रमाण-पत्र (1) श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बीसी ओ एम, एम ए, एल एल बी, ए आर्क्सी डब्ल्यू ए॰ बी एम-23, शालीमार बाग, दिल्ली-110052 (सवस्य सं. 1522) उनके अपने अनुरोध पर 6 मार्च, 1995 से 30 जून, 1995 सक निरस्त कर दिया गया । (2) श्रीटी एस. नागस्न्दरम्, एम ए, एम एस सी, एफ आर्द्र सीडब्ल्यू ए, 99 फोर्थकोस, अरकरे पाईको लागभाउट, बैन्नरघाट रोड, 560076 (संदम्य सं. 3606), को उनके अपने अनुरोध पर 8 अप्रौल, 1995 से 30 जून, 1995 तक निरस्त <mark>कर</mark> दिया गया । और (3) श्री अपदिनाथ बन्नर्जी बी एस सी, एफ सी एस, ए आर्ड सी डब्ल्यू ए, पी-130, लेक टेरेग, कलकता-700029 (सपस्य मं. 4265) को उनके अपने अनुरोध पर 19 मर्ड, 1995 से 30 जून, 1995 तक निरस्त कर वियागमा ।

> एस. आर. आचार्य स**चिव**

सं. 16-सी **डब्ल्य आर** (1189-1192)/95---द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टम थिनियमन 1959 के विनियमन 16 👸 अनुसरण करते हुए एनबुद्धारा यह अधिस्चित किया जाना **है कि द का**स्ट एण्ड वर्क्स एकाजन्टेन्ट्रम एक्ट, 1959 की धारा 2.0 की उप-धारा (1) (ए) के तहन प्रदत्तः अधिकारौँ का ब्रयोग करते हुए द काउन्सिल आफ द इन्स्टिच्युट आफ कास्ट **ए**ण्ड थर्क्स एकाउन्टोर्ट्स आफ **इण्डिय**ा ने अपने-अपने सदस्यता 🕏 रिजस्टर से निम्नलिखित सदस्यों का नाम हटा दिया है:---(1) श्री विमान विहारी भौमिक, वी एस सी 🛊 आर्ड सी डब्ल्य ए, उदयाचल, 204/डी, बिरोन राथ रोड, **इ**स्टि, कलकत्ता-700008 (सबस्य मं. 1708) 27 जनवरी, 1995 में प्रभावी, (2) श्री एनं. सूर्यानारायनन∙ एम ए, ए भार्ड मी डब्ल्य ए, 58, गणपति अर्डधर गार्डीनः केल्लेी. थिरुबनाई-कोईल, तिरुचिरापरली-620005 (स**द**स्य मंः 5822) दिनांक 5 जनवरी, 1995 से प्रभावी । (3) श्री धी रमण बी काम एक आर्द्ध सीडब्ल्य ए, मकान नं 438*,* कळ्णा कुम्मनचेरी मुख, कोचीन -682022 (सदसा सं 1015) दिनांक~4 मार्च, 1995 से प्रभावी और (4) श्री स्वपन क्रामार राय, बी एस सी, ए आर्डिसी डब्ल्य, ए, 3∕3∕1∹एन, पटिशारी बनर्जी पाडा रोड, कलकत्ता-700001 (सदस्य मे 5277) विनाक 18 मार्च, 1995 से प्रभागी (सत्य की कारण) ।

> ण्यः आर आ**चार्यः** स**चि**व

रं. 18-सी डब्ल्यू आर (299)/95—द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियमन् 1959 के विनयमन् 18 का अनुसरण 3—159GI/95 करत हुए एत्द्द्वारा यह जी घसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमन के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए द कालिन्सक आफ इन्स्टीच्यूट आफ द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया ने अपने सदस्यता रिजस्टर मे श्री आर. सेतुरमण, बी. काम, ए आई सी डब्ल्यू, ए., ए-4, "कृष्णा" प्लाट 17सी, बागुर नगर, वंरियांग, (पिटचम), बम्बई-400090 सदस्यता नं. 3378) की नाम 7 अप्रैल, 1995 से प्रभागी पुनः लिख लिया है।

एस. आर. आचार्य सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नर्ज दिल्ली, विनांक 31 मर्ड 1995

मं. एन 15/13/1/95-यो एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ एंडिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिवोधक ने 1-6-1995 एँसी सारीख के रूप में निष्चित की हुं जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रवेध सम्बारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्विष्ट चिकित्सा हित्तमाभ आन्ध्र प्रवेध राज्य में विम्नितिखत क्षेत्रों में शिम्नितिक व्यक्तियों के परिनारों एर लाग् किये जाएँगे। अधीन:

''जिला भिजामाबाद के ग्रेंदपल्ली मंडल में राज्य्य ग्राम जनकम्पोट की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र''

> एसः एनः तिवारी निद्योकक (यो. एवं घि.)

मं. एन. 15/13/1/5/05-यो. एतं वि. (१)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-कं के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिरियम, 1948 (1948 को 34) की धारा-46 दवारा प्रदन्त गिक्तयों के क्रमुरण्य में महानिदोशक ने 1-6-1995 एसी तारीक के रूप में निद्यित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा अन्ध्य प्रदेश कर्मघारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्विष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध प्रदेश राज्य में निम्नलिक्षित क्षेत्रों में वीमावित वारीक के परिवारों पर लाग वियो जाएंगे। अधीर:

''जिल्ला कारनूल के नदयाल मंडल मी राजस्य ग्राम चढीलू के शीरिक आने वाले क्षेत्र''।

> एस. एन. तिसारी नि**द**ेशक (थे. एवं डि.)

सं. एत. 15/13/1/9/95-भं. एतं चि. (2)--क्ष्मंचारी राज्य बीमा (सामान्य) भिनियम-1950 के विनियम 95-क के स्था पिठा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) जी धारा-46 द्वारा प्रदत्त बादित्यों के अनुस्दण में सहाभिषदेक ने 1-6-1995 एसी वारीख के रूप में निविज्य की हो जिससे जलत विनियम-95-क तथा जाज्य प्रवंश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में गिपिट चिकित्सा जित्ताम आन्ध्र प्रदेश राज्य में विमाहित क्षेत्रों में कीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू विवि जाग्रे । वर्थाण:

"जिला गालगाँखा को भोंगीर मंडल में राज्या गाम रायगिरी, अम्बाद् और अनाचराम को अंतर्गत जाने वाले क्षेत्र" ।

एस. एन. निवारी निवेशक (थो. एवं वि.)

मं. एत. 15/13/1/12/95-यो. एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बोमा (सामाग्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित्र कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 को 34) की धारा-46 इवारा प्रवत्त शक्तियों के अनुसारण में महानिव कि न 1-6-1995 एसी नारीस के रूप में निष्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रवेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्विष्ट चिकित्सा हिसलाभ आन्ध्र प्रवेश राज्य में निम्निटिसित क्षेत्रों में वीमां कित व्यक्तियों के परिवारों पर लाग किये जाएंगे। शर्थान:

"जिया रंशारेष्ट्डी के उप्पल मंडल में राजस्य ग्राम बोडपूपाल, धीरणाक्षीयहा मंडपल्ली मिशायण और एलस्मायीगृडा के अंतर्गत असे साले क्षेत्र"।

> एस. एन. निवारी निवोधक (थो. एथं वि.)

गं. एवं. 15/13/1/13/95-मो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य हीसा (सामारा) सिनियम-1950 के विदियम 95-क के साथ पठिन कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम, 1948 (1948 के। 34) व्यी धारा-46 द्यारा प्रदत्त कित्तयों के अनुसरण में महानियक्षक ने 1-6-1995 एमी नारीक्ष के रूप में निद्यित की के जिससे जवत विकास-95-क नथा अक्ष्य प्रदेश विकास राज्य वीमा नियम-1955 में निर्मित्य चिकित्सा किताम आक्ष्य प्रदेश राज्य में निम्नित्यित क्षेत्रों में किताम आक्ष्य प्रदेश राज्य में निम्नित्यित क्षेत्रों में किताम विकास प्रदेश राज्य में निम्नित्य जाएंगे। अधिन

"जिला वर्षी गोदावरा के काफीणमा मंडल में राजस्व ग्राम वीयवरमा जनकपाड़ा (माधावराईड) के क्षेत्र के उलावा जहां कर्म-भारी राज्य बीमा योजना पहले ही लाग हो, सदती हुँ) और प्रभी रोज्योकिका की अर्हणि आने वाले क्षेत्र"।

> एस. एन. निवारी निवोधक (यो. एक्षेटि.)

हं. एत. 15/13/1/17/95-मां. एनं वि. (2)—कर्मचारी राज्य होमा (सामाय) विनियम-1950 के विद्यम 95-क के प्राथ पठित कर्मचारी राज्य होमा अधितियम, 1948 (1948 का 34) की भारा-46 द्वारा प्रवत्त शिक्तयों के अनुसरण में महानिविकत ने 1-6-1995 एखी गारीख के रूप में निविचत कि है जिसले एक जिल्हा विनिध-95-क नथा बान्ध प्रवेष विभाग राज्य योमा नियम-1955 में निविच्य चिकतसा हिताम आन्ध प्रवेष राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में कीमाकिन व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे। उधान:

''जिला तरणल के हनमकौंडा मंडल में राजस्य ग्राम पाईदिपल्ली और बारपल्ली और हसनपारथी मंडल में राजस्य ग्राम हसनपारथी के अंतर्गत जाने वाले क्षेत्र''।

> एस. एन. तियारी निवक्तिक (यो. एवं डि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नुद्र विल्ली-110015, विनांक 13 जून 1995

मं सम्मेलन 5(10)/94/ओ आर/1408—कर्मचारी भिव्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पित पैराग्रफ 4 के उपपैराग्रफ (1) के अनुसरण में तथा केन्द्रीय भिव्य निधि आयुक्त व्यारा जारी अधिसूचना संख्या. सम्मेलन कि (10)/87/ओ आर/10086 दिनांक 31-12-90 जिसका भारत के राजपत्र के भाग-3, चंड-4 में दिनांक 19-1-91 में प्रकाशन हुआ है, का जितिकमण करते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय लागी बोर्ड कर्मचारी भिवष्य निधि उड़ीसा राज्य के लिए क्षेत्रीय एमिनि का गठन करते हैं जिसमें निम्निलिखित व्यक्ति होगें अधिसु:---

भ्रध्यक्ष

सचिव
श्रम एवं रोजगार विभाग
उड़ीसा सरकार
भुवनेष्वर।

केन्द्रीय बोर्ड के ग्रध्यक्ष द्वारा नियुक्ति

सदस्य

श्रम प्रायुक्त, के उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।

राज्य सरकार की सिफारिशों पर प्रध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त दो कर्मचारी

उ फैक्ट्रियों तथा बायलरों का मुख्य निरीक्षक भुवनेश्वर।

–वही–

4. श्री जी० एस० पी० सिन्हा, ग्रध्यक्ष उत्कल चैम्बर ग्राफ कामसे एण्ड इन्डस्ट्री, कटक राज्य में नियोक्ता संगठनों के परामर्श सं ग्रध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड क्रारा नियुक्त नियोक्ता पक्ष के सीन प्रसिनिधि

–वही–

 श्री बीठ डीठ बजाज, उपाध्यक्ष (बक्सं) मैठ जेठ केठ पेपर मिल्म, जेक्षेपर, रायगढ़

श्रो एस० बी० मिश्रा,
 प्लाट नं० 704, शहीद नगर,
 भृवनेश्वर–751007

--वही--

कर्मच।रियों के प्रतिनिधि

 श्री रामचन्त्र खूंटिया, ग्रध्यक्ष, इंटफ, उड़ीसा शाखा भुवनेश्वर, पो० जाजपर रोड़, जाजपुर

राज्य में कर्मच। रियों के संगठनों के परामर्श संग्रध्यक्ष, केन्द्रीय बोडे द्वारा नियुक्त कर्मचारी पक्ष के तीन प्रतिनिधि

8. श्री जोगेन्द्र विपाठी, एडवोकेट, सचिव, एच० एम० एस० पो० धेनकनाल, उडीसा

–वह'-

9. श्रा मम्भुनाथ नायकः,
यू० टी० यू० सी० एल० एस०
3 स्नार० एम० एल० ए०
कालोनी, भूवनेश्वर

–अह"⊷

10. क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि ग्रायक्त क्षेत्रीय समिति के सदस्य होंगे

> एच. डब्ल्यू. टी. सम केन्द्रीय भनिष्य निधि आयुक्त

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, विनांक 15 ज्लाई 1994

फ. बी. 26017/5/90-आ. शि.——(ड.) भारतीय चिकिस्सा ॐद्वीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48)
की भारा 36 के उपबन्ध (फ), (अ) और (ट) के अधीन प्रदत्त
अधिकारों की छनुपालना में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिचद्
केन्सीय सरकार की पूर्वानुमित से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिच्यु (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम 1979 में निम्न संशोधन करती
हैं ---

(1) इन विनियमों को ''भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परि-षद् (स्नातकोत्तर किक्षा) संगोधन विनियम, 1994'' कहा जाये। (2) ये चिनियम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्तातकोत्तर शिक्षा) विनियम 1970 में प्रथम जुलाई 1994 से प्रभावी होंगे । परिशिष्ट-1 के लिए निम्न परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

आयुर्वाच मों स्नातकात्तर पाठ्यक्रम के लिए न्यूनसम मानक एवं पाठ्यविधि ।

1. उद्दर्भय एवं प्रयोजन :

रतातको नर पात्नक्रम के संचालन का उद्देश्य विशिष्टताओं और अधिविशिष्टताओं में अभिविन्यास (दिग्विन्यास) करना तथा एसे विशेषकों को तैयार करना होगा यो सुयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्सक, क्षत्य चिकित्सक, औषध निर्माण दक्ष, अनुसंधान कर्ता तथा आयुर्वेद के पाण्डित्य के युक्त विद्वान आदि अपने-अपने क्षेत्र में गहन क्षान गुक्त हों।

धिरिक्ष्टराएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है:

- । आयुरुंद सिद्धांत और दर्शन ।
- 2: लंहित-(क) चरक संहिता (स) सुश्रुत संहिता (ग) अष्टांग हवय-अर्थंग संग्रह ।
- 3 . रचना करोर ।
- 4 किया घरीर (बोध धातु कल विकास) ।
- 5 द्रव्यगुण विकास ।
- 6 रसङ्गस्त्र ।
- 7. भेषज्य कल्पना ।
- प्रसृति तंत्र एवं स्त्री रागि ।
- 9 कामार भत्य ।
- 10 काय चिकित्सा ।
- 11. स्वस्थवृत्त ।
- 12. रांग निदान-विकृति विकास ।
- 13 मनाविज्ञान ।
- 14 शल्यतंत्र ।
- 15 शालाका उंच ।
- 16 पंचकर्म।

उस्मालकोत्तर जगाधि की विकिष्टलओं की नामावित :

- 1 आपविष वासस्यति-एम डी. (आय्वेष सिब्धांत)
- शस्तृतीद लाचस्यति-एम . जी . (पंहिता)
- अायुर्वेच बाचस्पति-एम डी. (रचना झारीर)

- 4 आपृथेद बाचस्पति-एम डी. (क्रिया शारोर)
- 5 अध्येद वाचस्पति-एम . डी. (इब्यगुण)
- 6. आयुर्वेद वासस्पति-एम.डी. (भेषज्य कल्पना)
- 7 अल्बेब बाचस्पति-एम् . डी. (रसशास्त्र)
- श्रायुक्त बाचस्पति-एम.डो. (कामार भ्रह्म)
- 9 आयुर्वेद वाचस्पति-एम एस (प्रस्ति तंत्र एवं स्त्री रोग्)
- 10 आयुर्वेद वाचस्पीत-एम् डो. (स्थस्थवृत्त)
- 11 अव्यूर्भंद वाचस्पीय-एम डी. (काम चिकित्सा)
- 12 अध्वरीद वाचम्पति-एम.डी. (रोग दिवान)
- 13 अागुर्वाद बाचस्पति-एम एस (शल्य तंत्र)
- 14 अपूर्वेद वासस्पति-एम एस (शालाका तंत्र)
- 15 आयुर्वेद वाचस्पति-एम .डी. (मनोविज्ञान)
- 16 साय्वंद वाचस्पति-एम डी. (पंचकर्म)

4 प्रवेश

पात्रता

- 1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दिवलीय अनुमुची मों सम्मिलित विक्वियद्यालय/माधिकिक निकाय की आयुन्तिवीय उपाधि।
- जिन्हों ने उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की हो केवल वे ही प्रवेश के पात्र होंगे।
 अवेश विधि
 - 1. निग्न सवस्यो वाली एक प्रबंध समिति होगी :--
 - (क) संकायाध्यक्ष--सभापति
 - (स) प्रोन्नत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अथवा केन्द्र का प्राचार्य/यदि संकार में एक से अधिक प्राचार्य हु तो कमानसार--सदस्य
 - (ग) ऋमानुसार स्नातकोत्तर विभाग के वा विरुट्ध विभागाध्यक्ष--सुवस्य
 - (घ) विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सम्बन्धित विषय का एक विशोधज्ञ—सदस्य
- 2. चयन इक्रप्तापूर्वक अर्ह्धकारी परीक्षा में कार्यक्षमता पर आधारित वरीवत। क आधार पर किया जायेगा।

अथव

चयन ख्वतापूर्वक निम्न सूचीगत परीक्षाओं में लिखित परीक्षा और ताक्षात्कार पर आधारित एक सामान्य अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर होगा ।

- (क) लिखित परीक्षा (90 अंकों में से गणमा की जायेगी)।
- (स्व) साक्षात्कार परीक्षा (10 अंकों में से गणना की जायेगी) अंतिम गालिका (100 अंकों में से गणना की जायेगी)।

- . 3. प्रीक्षायों को जिल्हा के विकल्प के परिवर्गन की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी । ख़तापूर्वक योग्यता के आधार पर शावंटित विषय किसी भी स्थिति में परिवर्गित नहीं किया जायेगा तथा इसे प्रवेश के समय घोषित किया जायेगा ।
- 4. प्रवंश के लिए पात्रता होतू अंतिम तालिका में स्नृतितम 50 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत) अंक होंगे।
- 5. प्रायोगित/प्रतिनियुक्त अभ्यभी को प्रयोश के लिए अनि-वार्य अहीं प्रारण करना आवश्यक होगा और उसे प्रतियोगियों में स्वयं को राफल बनाना और न्युनतम अहीं कारी अंक प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।
- 6. लिखित परीक्षा में एक सामान्य लिखित प्रश्न पत्र होगा जिसमें आयुर्वेद के सभी विषयों को आवृत्त करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसकों विस्तृत विवरण का निश्चय इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति अथवा पाठ्यविधि में निर्धारित नियमों के दुवारा किया जायेगा ।
- 7. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार पर साक्षात्कार के लिए आहूत अभ्याधियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या में तीन गूना में अधिक नहीं होगी। यह नियम अनुसूचित जाति/ जनजाति कोटा के लिए भी नागु होगा।
- 8. साक्षात्कार के लिए अभ्याधियों के नाम साक्षात्कार समिति कों लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दशीए बिना मूचित किए जाएंगे।

अध्ययन की अवधि और उपस्थिति

- (1) प्रलेश के पश्चान् अभ्यर्थी को तीन वर्ष की अविधि तक अध्ययन करना होगा जिसमी से एक वर्ष प्रारंभिक पाठ्यकम के लिए और अगले दो वर्ष विशिष्टना पाठ्यकम के लिए होंगे।
- (2) छात्र की परीक्षा में प्रवेश की पात्रता के लिए व्याख्यान, प्रत्यक्ष, क्रियात्मक और चिकित्सीय अभ्यास के पृथक रूप से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना आवश्यक होगी।
- (3) छात्रों को अध्ययन कम के दौरान यथा आश्चंटित अस्पताल और अन्य कार्यों में उपस्थित होना आवश्यक होगा । सभी छात्रों को प्रारम्भिक और अंतिम पाठ्यक्रमों के दौरान संबंधित विभागों में कमशः हाउन्स जाब और बलीनिकल रिअस्ट्रार के कर्तन्यों को करना आवश्यक होगा ।
- (4) शिक्षण विभागों ब्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, विचारगोष्टियों, अध्ययन पर्यटन और अन्य ऐसे कार्यकलापों में भी उपस्थित होना आवश्यक होगा ।
- (5) जिस अभ्यर्थी ने नियमित अभ्यर्थी रहते हुए एक विषय मं पहले ही स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली है और तत्पदनात् अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे अध्ययन अविध में छूट नहीं दी जाएगी।
- (6) तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षकों को नियमित अभ्यथीं के रूप में स्तातकोत्तर प्रशिक्षण की अनुमित्त हानी । कार्यरत चिकित्सकों/शिक्षकों के अध्ययन अविध में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

प्रशिक्षण की विधि

- (1) अभ्याधियों को सम्बन्धित विषय में तुलनात्मक और जालो-बनात्मक अध्ययन सिंहत शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रतिक्षण विधा जायेगा ।
- (2) अन्तः प्रशिक्षण पर जोर विशा जाना चाहिए न कि उप-दोशास्मक भाषणों पर ।
- (3) अभ्यथीं के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में किए गए जनूसंधान कार्यों की विधि एवं सकतीक का ज्ञान आवश्यक है।
- (4) अभ्यर्थी को उसकी दोखरोख में सोंगे गए रोगी की चिकित्सा और प्रबंध वर्गीकृत उत्तरदायित्व दिया जाने होतू । शिक्षण इस तरह के छांचे में दिया जाना आवश्यक है तथा आकस्मिक रोगियों को भी दोचें।
- (5) अभ्यर्थी को उनके विषय में स्नातकीय छात्रों अथवा विशिष्तानुप्रवेशियों के शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लेना चाहिये।
- (6) प्रथम वर्ष की अविध में आयुर्वेद के समस्त विषयों के मौलिक सिष्धांतों के व्यवहारिक पक्षों का पर्याप्त कान दोने के लिए जोर दिया जाना चाहिये और आयुर्वेद के मौलिक सिष्धांतों के विशिष्ट गंदर्भ से सम्बन्धित समस्त व्यवहारिक एवं तुलनात्मक पक्षों को चिकित्सा के मूल विज्ञान में पर्याप्त प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।
- (7) चिकित्सीय प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थी को विशेषक्ष के रूप में स्वतन्त्र कार्य करने में ज्ञान का विस्तार करना होना चाहिए।
- (8) शल्य, शालाक्य और प्रस्ति तंत्र विषयों में कियात्मक प्रविक्षण का उद्देष्य अन्येषण प्रक्रिया, तकनीक और शल्य किया निष्पादन का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिये ताकि अभ्यथीं में शल्य किया विधियों और सम्बन्धित विषय में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो ।
- (9) पाठ्यक्रम की समस्त अवस्थाओं के वौरान छात्रों को गीजनाबब्ध कार्यक्रम के रूप में सम्पूर्ण एवं गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और एसे कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषक् के निरीक्षण एवं वांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- (10) अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान अध्यापन तकनीक और कोध-विधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना द्वाहिये।

शोध प्रबन्ध

- (1) शोध प्रवन्ध पर कार्य करने की अनुजा दिए जाने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रवेश के छ: माह के भीतर शोध प्रवेध का शीर्षक पंजी-कृत करवा लेना चाहिए और प्रारम्भिक वर्ष के अंत तक सारांश अनु-मोदित करवा लेना चाहिए ।
- (2) शोध प्रबंध के शीर्षक के लिए आवेदन-पत्र में कार्य के प्रस्तावित उद्विष्य और विभाग के नाम और निरीक्षक/पर्यवेक्षक और सह-निरीक्षक के नाम और पदनाम सहित अभ्यर्थी के परिचय को दर्शाते हुए कार्य के प्रस्तावित प्रयोजन के सारांश सहित बोध प्रबंध के शीर्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

- (3) एक बार-शोध-प्रबंध का शीर्षक अनुमोदिक् होने पर अभ्यर्थी को शीर्षक अथवा कार्य के प्रस्तावित प्रयोजन के परिवर्तन की अनु-मित नहीं होगी।
- (4) यदि अभ्यशीं उत्पर उल्लिखित अविध के भीतर सार्यक्ष सहित त्रोध-प्रबंध का शीर्षक प्रस्तुत नहीं कर पाना है तो उसका पंजीयन रदद कर दिया जाएगा ।
- (5) किसी भी अभ्यशी को शोध प्रबंध के पंजीयन का एक वर्ष समाप्त होने और अंतिम परीक्षा के छः माह पूर्व तक शोध-प्रबंध प्रस्तत करने की अनुमित नहीं होगी।
- (6) अभ्यर्थी के द्वारा चुनी हुई और-विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक के मार्गनिव शों में पूरी की गई समस्या पर होध किद जाने की तिथि और संभावना को शोध प्रबंध में रस्ता चाहिए।
- (7) शोध प्रबंध में संबंधित साहित्य का आलाचनात्मक सर्वो, अन्संधान के संबंध में विमर्श, अनुसंधान विमर्श का परिणाम, विषय से संबंधित विद्यमान साहित्य, निष्कर्ष शोध प्रबंध का गारांश तथा शोध प्रबंध में उल्लिखित संदर्भों का समावेश होना चाहिए।
- (8) विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारिक्त नियमों अथवा अध्या-देश के अनुसार एक जांच समिति गठिक होगी जो नियमानुसार प्रस्तृत शोध प्रबंध के शीर्षक और कार्य की प्रस्ताविक्त योजना की जांच करोगी और उसे अनुसोधित करोगी। प्रस्येक शोध प्रबंध का विषय प्रायोगिक की प्रधानता युक्त निराशाजनक विषयों से रहित और आयुर्वेद सेवा के विकास में सहायक होना चाहिए।
- (9) शोध प्रबंध साधारणतया 200 टंकित पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। गोध प्रबंध के अंत में 1500 शब्दों से अनाधिक का सारांश होता चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष हो।
- (10) निर्दोक्तकं/पर्यवेक्षकं अपने विषय में कम से कम 5 वर्ष का स्नानकोत्तर अध्यापन अन्भव धारण करने वाला प्राध्यापकं/प्रवाचक के स्तर का व्यक्ति होगा । प्राध्यापक एवं प्रवाचक प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कमकः तीन और दो छात्रों का निर्वेशन कर सकता है । सात वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के अनुभव वाला प्रवक्ता प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में एक अभ्यर्थी का निर्दोशन कर सकता है ।
- (11) साहित्यिक प्रस्तृतीकरण के संबंध के शोध प्रबंध संतीष-जनक और संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने होतू उपयुक्त होना चाहिए।
- (12) पर्यवेक्षकों अथा। पर्यवेक्षक के प्रमाण-पत्रों अथवा प्रमाण-पत्र सहित को प्रबंध की चार सजिल्द प्रतियां कुलसचित के कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व अवश्य पहुंच जानी चाहिए।
- (13) विश्वविद्यालय व्वारा नियुक्त चार परीक्षकों जिनमें से दो वाहरी और दो आन्तरिक होंगे के द्वारा शोध प्रवंध मूल्यांकित किया जाएगा । शोध प्रवंध के आन्तरिक परीक्षकों में से एकं मूल्य पर्यविक्षक जिसकों अधीन अभ्यर्थी ने शोध प्रवंध के लिए कार्य किया हो, होना चाहिए ।

- (14) शोध प्रबंध, परीक्षण के लिए नियुक्त परीक्षकों के ध्वारा सर्थ-सम्मत अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा ।
- (15) यदि शोध प्रबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणी सिहत इसे अभ्यथीं को बापिस दे दिया जाएगा और अभ्यथीं परीक्षकों की टिप्पणी के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को विश्वविद्यालय को पूनः प्रस्तुत कर सकेगा । एरन्त् यह अविध 6 माह से अधिक नहीं होगी।
- (16) अभ्यर्थी शोध प्रबंध के लिए नियुक्त परीक्षकों के ब्वारा शोध प्रबंध के अन्मोदन के पश्चात् सैंद्धान्तिक, मौखिक और चिकित्सीय सहित फियान्मक वाली आयुर्वोदीय स्नातकोत्तर उगािध की द्वितीय परीक्षा में बैठ सकेगा।
- (17) शोध-प्रबंध के शोर्षक के सारांश की एक प्रति शोर्षक के शीष पश्चात् ही निबंधक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की भेजी जाएगी । स्वीकृत शोध प्रबंध की एक प्रति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नद्द विरुती के प्रतकालय में रखी जाएगी ।

परीक्षा और उसका निर्धारण

स्नातकोत्तर उपाधि की निम्न दो परीक्षाएं होंगी :--

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा संस्था द्वारा संचालित प्रवेश के पद्मात एक श्रंक्षणिक वर्ष के अंत में ।
- (2) प्रथम परीक्षा के पश्चात् दो शैक्षणिक वर्षों के अंत में अंतिम परीक्षा ।
- (3) अंतिम परीक्षा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो वर्ष पवचात् हांगी और अभ्यशी अधिकतम दो अय-सर प्राप्त कर सकता है। अंतिम परीक्षा 6 माह के अंतराल में दो बार होगी।
- (4) परीक्षाओं के किसी भी भाग में प्राप्तांक प्रदान नहीं किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम समस्त संबद्ध परी-क्षाकों बाली परिणाम समिति के विपारापरान्त उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के रूप में घोषित किया जाएगा।
- (5) परीक्षा सामान्यतः प्रस्थेक वर्ष के मई -जून और अक्टू-बर-नवम्बर माह में आयोजित की आएगी।
- (6) परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए अभ्यर्थी की पृथक रूप से समस्त विषय उत्तीर्ण करने होंगे।
- (7) जिस विषय/विषयों में अभ्यथीं सफल घोषित हो जाता है उसमें उसे उत्तरवर्ती अवसरों में एक या अधिक विषयों में परीक्षा दोना आवश्यक नहीं हैं।
- (8) यदि अभ्यर्थी केवल एक विषय में अनुतीर्ण होता है तो उसे अंतिम परीक्षा में बैठने से पूर्व उस विषय को उत्तीर्ण करना होगा ।

- (9) यदि अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा के सँब्धान्तिक और कियारमक में अनुत्तीर्ण होता है तो नया शोध प्रबंध प्रस्तृत किए किना अभ्यर्थी उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठ सकता है ।
- (10) अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध की स्वीकृति और अभ्यर्थी के द्वारा चूने गए विषय में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही प्रदान की जाएगी।

मुल्यांकन

- (1) (क) परीक्षा का लक्ष्य अभ्यथीं की चिकित्सीय कुशाग्रता और उसकी योग्यता एवं विषय के व्यवहारिक पक्ष में उसके कार्य-कारी जान की जांच और विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से, कार्य करने में योग्यता होनी चाहिए।
- (ख) चिकित्सीय परीक्ष्य का लक्ष्य अभ्यर्थी की शोध निर्धारण की सावधानीपूर्ण क्षमता एवं अपने चिष्य में आयुर्वेच और वैज्ञा-निक साहित्य के साथ उसकी आत्मीयता की जांच होना चाहिए।
- (ग) परीक्षा का मौखिक परीक्षा भाग विस्तीर्ण होना चाहिए और उसमों विषय के किसी भी पक्ष पर विमर्श का समार्थेश होना चाहिए।

विषय

- (क) प्रारम्भिक परीक्षा—-प्रथेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत मो निम्न विषयों में प्रारम्भिक परीक्षा होगी ।
 - चिकित्सा सांस्थिकी एवं अनुसंधान विधि ।
 - चिकित्सा के मौलिक विज्ञानों के सिद्धान्तों के संबद्ध अध्ययन सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर दोते हुए आयुर्वेद के गैर चिकित्सीय विषयों के सिद्धान्त ।
 - चिकित्सा के मूल विज्ञान के सिद्धान्तों से संबद्ध अध्ययन सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर दांते हुए आयु-वांच के चिकित्सीय विषय को सिद्धान्त ।
 - 4. अभ्यर्थी को द्वारा स्वैिष्छक रूप से गृहीत विषय के लिए संबद्ध विभाग में निम्नवत् प्रकाशण प्राप्त करना होगा :—
 - (क) अस्पताल में नियमित चिकित्सीय प्रशिक्षण ।
 - (ख) विभाग में किए गए शोध कार्य का कियात्मक प्रशिक्षण ।

- (६) विषय से सीर्वेशित साहित्य का अध्ययन ।
- (घ) विभिन्न विचारगोष्ठियों, संगोष्टियों और नार-वियाद में सिकय भागीदारी ।
- (ङ) कोथ प्रबंध का कीर्यक और उसके सारांश को अंतिम रूप दोना ।

प्रथम अर्थ के भौरान उपयुक्ति बिंदाओं पर किए गए कार्य का सन्यांकन प्रारम्भिक प्रतीक्षा के समय किया जाएगा ।

(क) अंतिम परीक्षा—अंतिम परीक्षा (1) शोध प्रबंध (2) लिखित-पत्र (3) चिकित्सीय मौसिक और प्रायोगिक परीक्षा, जैमी भी स्थिति हो से युक्त होगी । प्रत्येक विषय से चार सेंद्र्शन्तिक प्रश्नपत्र और एक प्रायोगिक कियात्मक/चिकित्सीय सथा अभ्यर्थी के द्वारा विशेष अध्ययन के लिए चुके गए विषयों में किसी एक विषय अथवा विषयों के वर्ग में मैंकिक होगा।

परीक्षा योजना

क्रियात्मक/चिकित्सीय मौसिक एरीक्षाओं द्वारा अनुसरित प्रारम्भिक और अंतिम परीक्षा की योजना का विवरण निम्नवत् होगा:---

परीक्षकों का मापदण्ड :

- परिक्षक एक बार में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए नियक्त नहीं किए जाएंगे । उसे दो वर्षों के अंतराल की पश्चात् पून: नियक्त किया जा सकता है।
- परीक्षक को उस विषय की स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन अनुभव होना चाहित् । पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राध्यापक (प्रोफोसर) और प्रवाधक (रीडर) के लिए और 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रवक्ता (लेक्चरर) को लिए अनिवार्य है ।

शिक्षा का शाध्यम

शिक्षा की माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी अथवा अंस्कृत होगा। संस्कृत को वरीयता दी जानी चाहिए ।

स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षण केन्द्र के लिए न्यूनतम आवश्यकताए

श कोन्द्र को भारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषद् द्वारा रसात्रकीय प्रशिक्षण के लिए यथा विहित न्यूननम आयश्यक्ताओं से संनुष्ट करना चाहिए और इसके

- अतिरिक्त विभाग में आवृत किंत् गए कार्य के प्रभार पर आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अतिरिक्त आक्ष्यकताओं को पुरा करना चाहिए ।
- 2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिष्ठ् के द्वारा प्रशिक्षण के विषयों से संबंधित यथा संस्तुत आयुर्वेद और चिकित्सा के मूल विज्ञान में प्रशिक्षण की सूविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण के सह-योजन के लिए अनुषंगी विभाग की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ।
- संस्था के पास संबंधित विशिष्टि और विषय में पर्याप्त उपकरण एवं शोध की सुविधाएं होनी चाहिए।
- 5. संस्था के पास विकिष्टताओं की पर्याप्त सुविधा सहित उपकरणों से पूर्णतः सुसिष्जित 150 क्रय्याओं वाला अस्पताल होना चाहिए । तथापि चिकित्सीय विषयों मे प्रति विद्यार्थी 10 क्रय्याएं होनी चाहिए ।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं

राज्य में अन्य चिकित्सा के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रचित्तत दर पर छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक-निधि प्रवान की जानी चाहिए । परिषद् इन्ह³ अनिवार्य सुविधा के रूप में जानेगी जो आयुर्वेद विषय में स्नातकोत्तर छात्रों को प्रदान की जाएगी ।

छात्र-शिक्षक अनुपात

् छात्र-शिक्षक अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि स्नातकोत्तर अध्िताओं की संख्या प्रतिवर्ष प्रियण्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या के आधार पर एक के प्रति एक (1:1) व्यवस्थित हो। जहां शिक्षकों की संख्या कर कर दी जानी चाहिए। गांकि प्रतिवर्ष एक छात्र प्रति शिक्षक के अगुपात को बनाए रहा जा सके। यह वहां भी लागू होगा जहां पद रिक्त पड़े हैं और प्रविष्ट छात्रों की संख्या उत्पर उद्धिलिखत सापवण्ड से अधिक होगी।

कार्मिक प्रव्धित

स्तात्यतीय पाठ्यकम के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं को अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यकम संचालि**त करने** के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारी (विभागानुसार) निम्न हॉर्ग :---

विभागकानौम		प्रवाचक	— व्या ख्या ना
 ग्रायुवेंद्र सिद्धान्त एवं दर्शन 		2	4
2. संहिता	1	3	3
3. रचना शरीर	1	2	4
4. किया शरीर	1	2	4
5. द्रव्य गुण विज्ञान	1	2	4
6. रसंशास्त्र	1	2	4
7. भैषज्य कल्पना	1	2	4
8. प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीगेग	1	2	4
 कौमार भृत्य 	1	2	4
10. कार्य चिकित्सा	1	3	4
11. स्वस्मवृत्त	1	2	4
12. रोग निदान विकृति विज्ञान	1	2	4
13. मनोविज्ञान	1	2	4
14. शल्यतंत्र	1	2	4
15. शालाभ्य	1	2	4
16. पं जक र्म	1	2	4

- (i) स्नातकोत्तर ग्रध्यापन में श्राबद्ध शिक्षक ग्रावण्यक रुप से विषय विशेष में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में मान्य होगा।
- (ii) जहां कहीं भी ग्रावश्यक हो ग्रन्थ विषयों के विषेषज्ञों से सहायका ली जाए।
 - (iii) चिकित्सीय विभाग में 20 णय्याओं पर एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाना जाना चाहिये।

साप्तकोत्तर शिक्षकों के लिए अहीताए

- व्यक्ति को विषय में स्नातकोत्तर उपिथिधारक होना शाहिए ।
- 2 प्राध्यापक पद के लिए उसी विषय में स्नातकोत्लर उपाधि पाठ्यक्रम का 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव अविशित होगा ।

- शवाचक (रीडर) के पद के सिπ उसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम का प्रवक्ष्ता के क्ष्प में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है ।
- 4. प्रवक्ता के पद के लिए व्यक्ति को किसी विश्वविद्या-लग की गान्य स्नातकीय संस्था में उस विषय के तीन नर्घ के अध्यापन अनुभव के साथ उस विषय में आवश्यकताएं प्री करनी चाहिए।

मान्यता के मापदण्ड

किसी विश्वविद्यालय अथवा निकाय के द्वारा किसी भी संस्था मों किसो भी विभाग मों भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की पूर्वानुभति के बिना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जा सकता । भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से मान्यता प्रात करने से पूर्व निम्न मापदण्ड पूरा किया जाना है ।

- स्वातकोत्तर पाठ्यक्रम केवल वहीं प्रारम्भ किया जा सकता है जहां पर स्नावकीय पाठ्य पहले से विद्य-गान हो ।
- 2. संस्थान को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय प्रशिक्षण के लिए यथा विहित न्यूनशक अवक्राकनाएं पूरी करना चाहिये।
- 3. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद दवारा सम्बन्धित विषय के लिए चिकित्सीय प्रशिक्षण, अन्मंधान की स्विधाएं, अध्यापकरण एवं उपकरण शादि की सूचि-धाएं। विश्वापकरण एवं उपकरण शादि की सूचि-धाएं।
- मुक्स स्नातकोत्तर छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रा-वास की सुविधा ।
- शिक्षक वर्ग के लिए निर्भारित जहाँता जनिवास्तः पूरी होगी ।
- 6. स्नातकोत्तर छात्रों को देय छात्रवृत्ति और आक्षरिमक निधि की मुविधा राज्य के चिकित्सीय स्नातकोत्तर छात्रों के समान हो ।
- 7 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् इतारा पाठ्य-विधि और पाठ्यविवरण में विहित पाठ्य विवरण परीक्षा की मरचना तथा अन्य विष्णों में मंशोंधन एवं परिवर्धन नहीं किया जा सकता ।

राजकम्मार जैन मिषक भारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषद् नर्द दिल्ली-58

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-400023, the 26th June 1995

No. 1468/07.33.01-94/95.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of the Pondicherry State Co-operative Bank Ltd., in the Second Schedule to the said Act effective from 20 July 1995.

R. V. GUPTA, Dy. Governor

INDUSTRIAL & EXPORT CREDIT DEPARTMENT

Bombay-400 0023, the 13th May 1995

No. IECD, 10/08.15.01/94-95.—In exercise of the powers conferred by Section 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the Public interest so to do, hereby directs that the "Non-marking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions 1989" (as amended) shall with effect from the date of this notification be amended in the following manner, namely:

- L In paragraph 3, the existing sub-paragraph (d) shall be substituted by the following:
 - (d) "cash credit component of working capital (fund-based) limit" shall mean the aggregate fund-based limits sanctioned by one or more banking companies in the form of cash credit limits including those by way of purchase/discount of bills for meeting working capital requirements, based on maximum permissible bank finance, but shall not include facilities such as letters of credit/ guarantees where there is no actual outlay of funds as well as credit limits sanctioned in the form of loans either for meeting working capital purposes or for acquisition of fixed assets/part of project financing.
- 2. In paragraphs 4 (ii), 7 and 11 (v) for the words "Working capital (fund-based) limit" the words "cash credit component of working capital (fund-based) limit" shall be substituted.

I. T. VAZ, Executive Director

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE

Calcutta-700001, the 15th June 1995

Sl. No. HO/Legal/0279.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulation author to amend the Allahabad Bank (Officers') service Regulations, 1979.

Short title and commencement :

- (i) These Regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulation, 1995.
- (ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication.
- (iii) Existing Regulation No. 49 (ii) may be substituted as follows:

Text of Existing Provision

"49 (ii). During the joining time an officer shall be eligible to draw the emoluments at the place of the old of new postnig whichever are less."

Text of amended Regulation

"49 (ii). During the joining time an officer shall be eligible to draw the emoluments as applicable to the place—of transfer."

Previous Notifications regarding amendment to Allahabad Bank (Officers') Service Regulations 1979 published in Part III Section IV of the Gazette of India on the following dates:—

- (1) 12-9-1987
- (2) 31-10-1987
- (3) 21-11-1987
- (4) 28-11-1987
- (5) 12-12-1987
- (6) 29-10-1988
- (7) 21-7-1990
- (8) 28-7-1990
- (9) 19-9-1992
- (10) 17-8-1993
- (11) 9-10-1993
- (12) 9-4-1994
- (13) 18-2-1995
- (14) **25-2-199**5.

L. K. TIWARI, Chief Manager (Law)

The 16th June 1995

No. HO/Legal/0285.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Allahabad Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 1980 (hereinafter referred it to as the principal regulations) namely:—

- (1) These regulations may be called the Allahabad Bank Officer Employees' Acceptance of Jobs in Private Sector Conserns after Retirement (Amendment) Regulations, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Regulation 4 of the principal regulations shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered and the proviso thereto, the following sub-regulation shall be inserted namely:—
- "(2) Where an officer employee has applied for previous sanction to the Board or, as the case may be, to the competent authority under sub-regulation (1) the Board or the competent authority shall either permit the employee to take up employment in the private concern or refuse such permission after giving the employee an opportunity of being heard:

Provided that where the Board or the competent authority does not communicate its permission or refusal to the applicant within ninety days of the receipt of the application by it, the Board or the competent authority shall be deemed to have permitted the employee to take up employment in the private concern:

Provided further that where the Board or the competent authority has called for further information of clarification from the employee, the period taken by the employee infurnithing the required information or clarification shall be excluded for the purpose of computing the aforesaid period of ninety days."

L. K. TIWARI, Cheif Manager, (Law)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, The 8th May, 1995

No. 3NCA (4)/2/94-95;—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereb notified that in exercise of the powers conferred by Clause (C) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names;—

S. No	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1.	13555	Shri Laxmi Narain Sardana 28, Lat Kuan, Delhi-110006.	1-10-93
2.	14859	Shri Suresh Chitkara A-1/6, Model Town, Delhi - 110009.	1-10-93
3.	17330	Shri Rajinder Kumar Director, Oswal Agro Mills Ltd., Sherpur G. T. Road, Ludhiana-141003.	1-10-93
4.	17650	Shri Subhash Chander J-39, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024.	1-10-91
5.	80814	Shri Krishan Kumar Badhwar C/o. R. K. Wadhavan, S-163, Greater Kajlash-II, New Delhi-110048.	1-10-93
6.	85011	Shri Naresh Chandra Gupta, 575, DLF Colony, Rohtak-124001.	1-10-93

A. K. Majumdar Secretary

The 12th June 1995

No. 3NCA (5)/4/94-95; -With reference of this Insti tute's Notification Nos. 4CA (1)/15/70-71 dt. 30 1/70, 3NCA (4)/3/91-92 dt. 14/02/92, 3NCA (4)/4/92-93 dt. 11/01/93 3NCA (4)/2/90-91 dt, 12/11/90, 3NCA (4)/2/93 94 dt. 07/03/94 4CA (1)/20/77-78 dt. 13/02/78, 3ECA (4)/5/89-90 dt. 23/10/89 3NCA (4)/9/85-86 dt. 31/03/86, 3CCA (4)/7/90 91 dt. 30/11/90 3WCA (4)/3/93-94 dt. 31/12/93, 3F.CA (4)/1/93-94 dt. 01-02-94 3CCA (4)/6/91-92 dt. 26/12/91, 3NCA (4)/3/89-90 dt. 09-11-89 3NCA (4)/8/92-93 dt. 23/03/93, 3NCA (4)/2/88-89 dt, 08-02-89 3NCA (4)/10/83-84 dt. 31/03/84, 3NCA (4)/3/89-90 dt. 09-11-89 3NCA (4)/6/91-92 dt. 11/03/92, 3NCA (4)/7/92-93 dt. 26/02/93 3NCA(4)/5/92-93 dt. 29/01/93, 3NCA(4)/5/92-93 dt. 29/01/93, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, that in exercise of the power conferred by Regulations 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of the Member with effect from the dates mentioned against their names, the names of the foollowing persons;-

No.		R	Date of estoration
1	2	3	4
i.	6961	Shri Victor Alexander, ACA G-69, Masjid Moth, Greater Kailash-III, New Delhi-110048.	02-03-95
2.	10154	Shri Harjit Singh Dugal, FCA Punjab & Sind Bank, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008.	03-01-95
3.	11375	Shri Swatantra Vijay Jain, FCA 3507 Lost Lake, Dr. King Wood TX-77339, USA	16-01-95
4.	10779	Shri Asit Kumar Sarkar, ACA Oil India Ltd., Duliajan (Assam)	21-03-95
5.	11788	Shri P. R. Srinivasan, ACA C-16, IInd Floor, Satnam House, 19 Sahar Road Pasi Wada, Andheri (East), Bombay-400099.	27-01-95
6,	12638	Shri Atma Prakash Goel, FCA 18, Gagan Vihar Vistar, Delhi-110051.	9-12-94
7.	14186	Shri Anand Mohan Mehra, ACA C/o. M/s. A.M. Mehra & Co., B-4, Chiragh Enclave, Opp. Nehru Place, New Delhi.	22-02-95
8.	15295	Shri Sudhir Rangnekar, FCA J. K. Synthetics Ltd., Ambadeep Eldg., 8th Floor, K. G. Marg, New Delhi-110001.	01-11-94

1	2	3 -	4	_1	2	3	4
9.	15798	Shri Ashok Kumar Gupta, ACA D-116, Sector-55, Noida-201301.	02-02-96	22.	81070	Shri Vinod KumarBeotra, FCA B-17, Badarpur Border Extn., New Delhi-110044.	20 -03- 95
10.	16700	Shri Vinay Kumar Gupta, ACA 1003, Indraprakash, Barakhamba Road, New Delhi-110001.	08-03-95	23.	81151	Shri Dhirander Kumar, FCA House No. 586, Sector-12, Panchkula-134109.	21-11-94
11.	20256	Shri M. Ramachandran, ACA F-1/11-D, MIG, Flats,	28-03-95	24.	81184	Shri Vinod Kumar Boustra, FCA H. No. 140, Sector 9, Faridabad.	13-12-94
,	21041	Hari Nagar, New Delhi-110064. Shri Jagdish Chandra Joshi, FCA	22-03-95	26.	81252	Sh. Rajeev Shamlal, ACA K-Block, Chaudhary Bldg., Counaught Circus,	20-01-95
	···.	C/o. J. D. Pandey, 39, Keshav Road, Laxman Chowk, Dehradun-248 001.		26.	81346	New Delhi-110 001. Shri Anil Kumar Jain, FCA 39-B, Ahinsa Vihar, 27/1, Sector IX, Rohini, Delhi-110085.	30-12-94
3.	23335	Shri Rajeev Behl, ACA Dy Manager (F & A), Instrumentation Ltd., 7th Floor, Core-6 Scope Complex Lodi Place,	13-02-95	27.	81589	Shri Sat Prakash Gupta, ACA 8, G-29, Sector-3, Rohini, Delhi-110085.	13-03-95
4.	31675	New Delhi-110003. Shri Shashi Bhushan Shagla, ACA 562, Kailash Tower-III, East of Kailash, New Delhi-110063.	28-12-94	28,	81774	Shri Rakesh Chandra, FCA Chamber No. 201, Chaudhary Complex, 9 Madhuban Road, Vikas Marg,	31-01-95
5.	35780	Shri Khushroo Bori Colabavala, ACA Banque National De Paris, Hansalaya, 15 Barakhamba Road,	17-02-95		82189	Delhi-110092. Shri Satish Kumar, ACA 1214 Sector 22-B, Chandigarh.	1 0-03-9 5
6.	53559	New Delhi-110001. Shri Pradip Kumar Garodia, FCA Hari Preet Apts,. 2nd Floor, 33/3,B, Anand Nagar Society,	01-10-93	30.	82205	Shri Shubh Ashish Bali, ACA Deloitte Touche Tohmatsu International, 1633 Broadway, New York N. Y. 10019 USA.	24-01 -9 5
7.	70659	BFC Road, Vadodra-390 005. Shri Sandip Choudhary, ACA C/o. Caglee India Ltd., UC-23, Sevika Towers,	31-01-95	31.	82265	Shri Anil Mehra, ACA C/o. Fair Flat No. 13, Ind Floor, Front Block, Sagar Apts., 6 Tilak Marg., New Delhi-110001.	28-11-94
8.	70701	6 Nehru Place, New Delhi-110019. Shri Ashok Haldia, ACA 57/3, Old Rajinder Nagar, HIrd Floor,	09-01-95	32.	82527	Shri Adarsh Sharma, FCA 10, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar-HI New Dolhi-110024.	20-12-94
9.	71177	New Delhi-110060. Shri Mahendra Pal Singh 57, Green Field, Model Town, Ludhiana-160059.	, 15-02-95	33	82914	Shri Rajan Kapoor, FCA 334, Te jender Jama Tower-f, PlotNo.13, Community Centre, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052.	20-01-95
20.	80693	Shri Harjeet Singh, FCA Master Trust Ltd., 800 19, Feroze Gandhi Mkt.,	30-11-94	34.	8299 t	Shri Sudhir Kumar Jhanjee, FCA 2980/1, Ranjeet Nagar, New Delhi-110 008.	04-01-9
21.	80726	Ludhiana-141 001. Shri Rajesh Kumar Nakrs, FCA S-95, Greater Kailash II, New Delhi-110048.	28 -02-9 5	35,	83020	Shri Vijay Singh Malik, FCA 10-B, Netaji Subhash Marg. Daryaganj, New Delhi-110002.	30-1 3-9 /

1	2	3	4	1	2		3	4		
36,	83138	Shri Girish Kumar Agarwal, FCA 9316, Gaushala Road, Kishan Ganj, Delhi-110006.	31-01-95	52.	88867	B-130	Anurag Shah, ACA 5, Preet Vihar, i-110092.	31-01-95		
37.	83249	Shri Dinesh Kumar Goel, FCA D-105, Gali No 5, Laxmi Nagar, Delhi-110092.	30-11-94	53.	90025	C/o. Jeev. 124	. Geeta Mathur, ACA ICICI Tower II, an Bharti Bldg Connaught Circus,	1 (-01-9 5		
8.	83950	Shri Anil Pal Dang, ACA J-134, RBI Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110063.	17-01-95	54	90938	3 Shri 4/73,	Delhi-110001. Sandeep Pahwa, ACA Punjabi Bagh, Delhi-110026	12-01-95		
.	84033	Shata Nand Sharma, ACA 24, Baldev Park, Delhi-110051.	0 6-02- 95		·		A	.K. Majumdar Secy.		
0.	84623	Shri Rajinder Singh Bhalla, ACA KG-I/427, Vikaspuri, New Delhi-110018.	0 6-02- 95			Domles				
11.	84680	Shri Anand Parkash Sharma, ACA A-189, Moti Bagh-I, New Delhi-110021.	30-12-94	Bombay-400 005, the 3rd May 1995 No. 3 WCA (4) 10/94-95.—In pursuance of Regular of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is notified that in exercise of the powers conferred by						
.2.	84689	Shri Ashish Kvishan Trisal, ACA 412-A, PktII, Mayur Vihar, Delhi-11009!	0.2-12-94	(c) of the sub-section (1) of section 20 of the Char Accountants Act, 1949, the Council of the Institute Chartered Accountants of India, has removed from Register of Members of this Institute on account of payment of the prescribed fees with effect 5th Dece						
13.	84806	Shri Shuilendra Nath Gupta, FCA J-12, Pranad Nagar, New Delhi-110005.	10-02-95	195	S. No.	. MRN	·			
44.	84821	Shri Anil Bansal, ACA 15-A, Kamla Nagar, Dolhi-110007.	19-01-95		1 (2000753	Mr. Kanga Dara Nus C C I Chambers No	serwanji		
15.	85227	Shri N. P. Sadutahang, ACA C/o. Mt. T. Wangd, 10 Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.	13-02-95		2 (004158	43Dinsha Wacha Rd Bombay-400 020. Mr. Sheth Rajababu A C/O M/S. J. K. Dosh Khetan Bhavan, 10, J.	i & Co.,		
46.	85969	Shri Dinesh Sood, ACA B-3/64, Safdarjang Enclave, New Delhi-110029.	01-02-95		3	011689	Bombay-400 020. Mr. Trivedi Shashikan S. P. Trivedi & Co. 1327 Jada Bhagat's Po			
47.	86170	Shri Rakesh Garg, ACA H. No. 1152, Sector 18-C, Chandigarh-160018.	15-03-95		4	012033	Opp. Chhipa Pole Dar Ahmedabad-380 001. Mr. Jhaveri Sharam	riapur		
48.	87272	Shri Gulshan Kumar, ACA 301, Onkar Deep, A-19, Middle Circle, Connaught Place,	07-02-9 ₅			012086	A/65 Silver Atls 6th Shanker Chanekar Ma Prabhadevi Dadar Bombay-400 028. Mr. Sualy Nalin Shiv	Floor rg		
49.	188114	New Delhi-110001. Shri Rajiv Agarwal, ACA 4800, Ram Bazar Cloth Mkt.,	25-01-95			2	N. S. Sualy & Co. Jo 137 Modi ST II Floo Bombay-400 001.	ssia House		
50	. 88574	Delhi-110006. Shri Rajeev Chopra, ACA B-111, Double Storey, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.	14-02-95		6	012572	Mr. Bendale Liladhar Geeta Apartments, A 48, Datar Colony Bhandup (E) Bombay-400 042.			
51	. 88784	Shri Amanjit Singh, ACA H. No. 3067, Se 음아라시다. Chandigath.	01-02-95		7	013548	Mr. Salgar Sharad N Tower Aluminium (N BA3 Blossom Military Avenue P. O. Box-9 Nigeria-0	igeria) 90 Rd Aktan		

1	2	3	11	2	3
8	013777	Mr. Shabbir Husain C/O Allied Accountants P. O. Box 18366 Riyadh-11415 Saudi Arabia-0	23	025519	Mr. Parthasarthy V 13 Nayandeep Society Part II Behind Navyug College Rander Road Surat-395 009.
y	015045	Mr. Kotak Bhailal Kantilal A-6, Sahayog, RBI Society Eksar Road Borivli (West) Bombay-400 092.	24	025829	Mr. Kumar Y 305 Saraswati Coop J B Nagar Andnen East Bombay-400 059.
10	015418	Mr. Pandya Jyotindra Janakraz 307-66 Parkwoods Villiage Drive Donmills, Ontario	25	026147	Mr. Ramesh S. 602 B. Sanam Shanthipark . Garodia Nagar Guathkopar Bombay-400 077.
11	015815	Canada M3A2X6-0, Mr. Zaveri Divyakant Ramanikial 103 Poonam Aprt R C Dutt Rd. Alkapuri	26	026348	Mr. Venkataramanan A. Plat No. 1, Gurukripa Apartment N. C. Keikar Road Dadar West Bombay-400 028.
12	016320	Baroda-390 005. Mr. Bhujwalla Minoo Navaroji 4840 Golfview Court Charlitte N. C. 028212-0.	27	() 26 396	Mr. Netravali Gurunath Shankar B/26 Dattani Park Co. op. SHG. SOC, Western Express Highway Boriviii (E) Bombay-400 066.
13	617838	Mr. Vora Anwarhusam Abdulkadar Vorawad NR. Vora Musjid Dist Junagadh	28	026731	Mr. Srikanth G. Sr. Finance Executive Vs. Dempo Co. Dempo House Campal Campal Goa-430 001.
14	020820	Mangrol-362 225 Mr. Rayishankar Alladı 31, Mangalya 93, Balgobindas Road	29	027562	Mr. Balasubramaniam R. Sr. Officer AC., Kenance Ind. Ltd. No. 83 Movie Tower, B/H Lokhand- Complex, Yamuna Nagar, Andheri (W. Bombay-400 058.
15	021638	Mahim Bombay-400 016. Mr. Rajagopal 14, First Floor Yogiswamy Society	30	028234	Mr. Karuna Kumar S. N. S. K. Gas Authority of India Ltd. Darpan Bldg R. C. Dutt Road Baroda-0.
16	021851	100 FT Road Anand-388 001. Ms. Chithkala G C/O Smt. C. Mahadewan A/2/1/31 Nabard Park, Khira NA	31	028608	Mr. Anto M. P. C-42, Mahindra & Mahindra HSG Society, Sree Krishna Nagar Borivali-E. Bombay-400 066.
17	021930	S. V. Road, Santacruz (W) Bombay-400 054. Mr. Mulhukumar B. Asstt. Manager Syndicate Bank, Flat 105, Sobam	32	029148	Mr. Ananth Shenoy Citi Bank N. A. Sakhar Bhavan 1 Floor Nariman Point 230 Backbay Reclamation Bombay-400 021.
18	022093	Ramabaug Colony, 'O' Lane Kalyan-421 304. Ms. Saraswatmi Hariharan Flat No. 4 Thapan House Temple Civil Lines	33	029358	Mr. Sri Dharan R. Flat L No. 404, Gemini Bldg. A Wing, Lower Kharodi, Marve Road, Malad (W) Bombay-400 095.
19	023692	Nagpur-440 001. Ms. Smriti Rekha Jayakar Bharat Heavy Electricals Ltd. Electrical Machine Repair Plan Lot No. D-1, Cross Road C MIDC, and	34	030824	Mr. Narayanan K. l. C-42, Pandurang A. B. Nair Road Juhu Bombay-400 049.
20	023794	Bombay-400 093. Mr. Gandhi Om Prakash Soma Textile & Industrial Ltd. Rakhyal Road Ahmedabad-380 023.	35	031181	Mr. Shobhan T. Patikh Flat No. 106, Ashoka Apts., Rungta Lane, 68 Nepean Sea Road Bombay-400 026.
21	024708	Mr. Prederick A W Soans Room 106 YMCA Central Branch 122 N Parekh Marg Bombay-400 039.	36	031793	Mr. Rao Aditham Prakash Flat No. 11 Mohit Park Lullan Nagar Pune-411040.
22	024812	Mr. Luxminarayanan S C/O Mr. Sunjoo Ihaveri 171 Enterprise Forjet Hill Bombay-400 036.	17	032837	Mr. Sanghavi Kandesh Ramniklal K. R. Sanghavi & Co. Fine Mansion II Floor 203 Dr. D. N. Road Fort Bombay-400 001.

1	2	3	1	2	3
38	032971	Mr. Shetty Ramesh Muddu 20/4 Tardeo A/C Market Tardeo Bombay-400 034.	53	037867	Mr. Almeida Thomas Lawrence Naughar Opp. Post Office Vasai Road
39	033418	Mr. Shah Anil D M Post Box No. 11092 Nairobi Kenya-0.	54	039161	Thane 401 202. Mr. Nawab Mohammedzahed Abubaki Surun A/4, Kismat Colony Ajwa Road Baroda-390 019.
4()	038408	Ms. Verma Anuradha Anuradha 7 Associates Sukh Sagasr, 12 Basement Hughes Road Bombay-400 007.	55	040751	Mr. Jain Paras Chhotalai B/7, Karmayoga Pipperment Compour L. B. S. Marg Bhandup Bombay-400 078.
41	039996	Mr. Krishen Ramachandran V Saukar Alyar & Co 2-C Court Chambers 35 New Marine Lines Bombay-400 020.	56	042971	Mr. Mehta Jitendra Navinohandra B-1, Sagar Swapna Nagar Near Model Town Mulnd (West) Bombay-400 080.
42	040368	Mr. Porwal Himanshu Jeetmal 20/77 Yashwant Nagar Goregaon West Bombay-400 062.	57	043111	Mr. Rajagopalan T. Flat No. 41, Bldg. No. 67A, Brindaban Thane (West)
43 14	042341	Mr. Saletore Kishore Mukund 13/7 Saraswat Colony Santacruz W, Bombay-400 054. Mr. Yazdi Keki Khapoliwala	58	043125	Thane 400 601. Mr. Murthy Ponnuri Prabhat 8. Minaxi Swastik Park Chembur
**	044317	Y. K. Khapoliwala & Co. Muncher Manzil 'B' Block I Fl. 35/C Jairajbhai Lane Bombay-400 008.	59	045065	Bombay-400 071. Ms. Reet Bharat Shah 11/169 Sardar Nagar No. 4 Sion Koliwada
45	045936	Mr. Joshi Vasant Balwant Anagha, Flat No. 3 Alkapuri Society Kothrud Punc-411 029.	60	045494	Bombay-400 037. Mr. Satara Harish Kumar Dawaji G/2, Dwarkanath Co-op. MSG Society Gopal Nagar Road No. 2
16	045949	Mr. Goyal Dayakushna 402-C 3, Sector & Shanti Nagar Dis' Thane	61	046360	Dist. Thane Dombivli (East) Dombivli 421 201. Mr. Jani Sunil
17	046176	Mira Road-401 107. Mr. Kapadia Khozema Akbarali 1/16-A, Vohra Colony Kandivli West			D-2/8 Deep Shikhar Society Sunder Nagar Malad (West) Bombay-400 064.
8	047199	Bombay-400 067. Mr. Kudav Kamlesh Vinod A/3 Choksey Bldg. Gamdevi Road	62	047056	Mr. Cavli Rajesh Hiralal H. No. 129, Sadar Bazav Devlali Camp Dist. Nashik Nashik 422 401.
9	047200	Bombay-400 007. Mr. Somani Prashant D 3-74 Green Fields Mahakali Caves Road	63	047874	Mr. Bhalani Navneet Kumar Vallabhda Sheth V. M. Kapol Hostel Khushaldas Parekh Marg Matunga (C.R.)
0	070111	Andheii East Bombay-400 093. Mr. Jyoti Prakash	64	031386	Bombay-400 019. Mr. M. V. Ramanarayan 56, Apollo Industrial Estate Off. Mahakali Caves Road
		3C/101, Damodar Purk L. B. S. Marg Ghatkopar (W) Bombay-400 086.			Andheri (E) Bombay 400 093. A. K. MAJUMDAR, Secy
1	026502	Mr. Sriram Chander 12 N Dilwara 8, Maharshi Karve Road Cooperage		3WCA(4)	ted the 4th May, 1995 11/94-95—In pursuance of Regulation and Accountants Regulations, 1988, it is
12	032467	Bombay-400 021. Mr. Talekur Vijay Rajanam 8 C-16/5, Jeevan Bima Nager Taruban Shobha Society Borivil (West) Bombay-400 092.	hereby clause counts Accou	notified the (4) of the stants Acts, 194 ntants of I	at in exercise of the powers conferred by ub-section (i) of 20 of the Chartered Ac- 19, the Council of the Institute of Chartered and a has removed from the Register in Institute on account of death, with effect

	n the date n following p	nentioned against their names the erson.;	names of		(C	HARTERED ACCOUNTANTS) Dated the 27th May, 1995	
No.	MRN 000124	Member Name & Address Mr. Mankeshwar Krishna	Canc. Date	(iii) of her e by	the Chart notified th	5/94-95—In pursuance of Regulations, 1 nat the certificate of practice issues have been cancelled as they do	988, it is led to the
۱,	000124	Khanderao K. K. Mankeshwar & Co.,	10-1-27		d the same		·
1		Kingsway, Nagpur.		S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
2.	000799	Mr. Patel Bhailal Haribhai M/S B H. Patel & Co.	23-12-94	1	2	3	4
	000146	6 & 7 Shivsagar, 5th Shivaji Park Road, Bombay-400196.	24.70	1.	003755	Mr. Haldar Nirupam FCA P. 49 C. J. T., Road Scheme-VI(M)	25-03-95
3.	009146	Mr. Desai Narendra Nanubhai Narendra N. Desai & Co., 10, Bharat House 2nd Floor, 106 Bombay Samachar Marg, Fort, Bombay-400001.	26-7-94	2.	007432	Calcutta-700 054 Mr. Dutta Atindra Prasad FCA 88 Dr. Sundari Mohan Avenue	01-04-95
4.	035437	Mr. Ramnath V. Chandbhoy & Jassoobhoy Kamanwala Chambers,	16-01-95	3.	008864	Calcutta-700 014 Mr. Surana Babu Lal FCA, 71-A/2, Alipore Road, Calcutta-7000 27	23-12-94
5.	039152	Sir P. M. Road, Fort, Bombay-400 001. Mr. Apte Rajendra Chandra- shekhar, Darbari 403 Sadhu Waswani Nagar	3-08-96	4.	011897	Mr. Birmecha Baboolal FCA Birmecha & Co., 36A Bentinck Street, 1st Floor, Calcutta-700 069	25-01-95
;	······································	Aundh, Pune-411 007 A. K. MAJUMI	DAR, Secy	5.	013136	Mr. Gangopadhyay Pankaj Kumar, FCA, 9 Mangoe Lane 1st Floor,	20-09-93
	No. 3ECA	Dated the 5th May, 1995. (Chartered Accountants) A/8/6/94-95—In pursuance of	Regulation	6.	015031	Calcutta-700 001 Mr. Nahata Sagar Mal FCA M/s. S. M. Nahata & Co., 2 Clive Ghat Street, Sagar Estate, 2nd Floor,	25-01-95 -
Acceptage the have nan of p	ountants certificate e e been cance	rith Regulation 10 (2) (b) of the Regulations, 1988, it is hereby no of practice issued to the following celled from the dates mentioned agrave not paid their annual fee for	otified that members	7.	015367	Calcutta-700 001 Mr. Ghosh Subrata FCA, 78 Chetla Road, Dipanwita Flat No. W2/7, Calcutta-700 027.	19-01-9
S. No		Member Name & Address	Canc. Date	8.	017175	Mr. Nahata Hathi Mal, FCA	23-12-94
1.	051371	Mr. Sengupta Aniruddha, ACA, 10 Nagendra Narayan Dutta Road, Flat No. 2,	1-01-93			A-410, Bagree Market, 71, B. R. B. Basu Road, Calcutta-700 001	
2.	087217	Block No. 4, Calcutta-700040 Murali Kalyanaraman ACA Flat No. 403, Kalimati Apartments,	1-10-93	9.	051294	Mr. Sett Vivek FCA 1 Wood Street, Flat No. 303, 3rd Floor, Calcutta-700 016	0 1-0 4-95
		24/4 Alipur Road, Calcutta-700027.	<u> </u>	10.	051328	Mr. Dasgupta Arup ACA, 7 Middle Road, Kalianibas, Barrackpur, 24-Parganas (N)	10-08-94
		A. K. MAJUME	OAR, Secy.		• • •	Nonachandaan Pukur-0	

ः * ४४ व्यक् 	2	3	4	1		3	
п.	051757	Mr. Seksaria Krishna Kumar FCA K. K. Seksaria & Co, 58D Netaji Subhas Road, 4th Floor, Caclutta-700 001	25-01-95	23.	055332	Mr. Gupta Sanjay Kumar ACA C/O Paragon Finance & Plywood Industries Ltd., 135A, C. R. Avenue, 2nd Floor, R. No. 15, Calcutta-700 007.	20-02-95
12.	051773	Mr. Goenka Arun Kumar FCA 8, Lyons Range, 5th Floor, Calcutta-700 001	16-03-95	24.	055622	Mr. Patni Mahendra Kumar ACA 9 India Exchange Place, 4th Floor R. No. 7 Calcutta-700 001	19-01-95
13.	051885	Mr. Jagatramka Arun Kumar FCA,	19-10-94	25.	056063	Mr. Mohata Giriraj Kumar ACA 62A Kali Krishna Tagore Street, Calcutta-700 007	12-2-94
	051066	Arun Kumar & Co. 1 Clyde Row Hastings, Calcutta-700 022	08-07-93	26.	056126	Mr. Devarakonda Ananda Kumar ACA QR No. G-18-A,	10-03-95
14.	051966	Mr. Mukherjee Rajib Kumar FCA HIT Scheme 5,	(16-07-23			New Colony, Jatni-752050	
		Type 4, Block A, Flat 2 Central Park, Belepole, Howrah-711 104.		27,	056194	Mr. Lal Ajay Kumar ACA Room No. 302, 3rd Floor, 41, Netaji Subhash Road, Calcutta-700 001	01-03-95
15.	052841	Mr. Shah Sunil FCA C/o Rameshwar Dass Mahliram P-11, Chitpur Spur, Calcutta-700 007	05-12-94	28.	056516	Mr. Mukhopadhyay Subrata ACA 72/B, Balaram Dey Street, Calcutta-700 006.	01-02-95
16.	053130	Mr. Nanda Mohan Kumar FCA, A/M-20, V S. S. Nagar, Bhubaneswar-751 004	24-10-94	29.	056720	Mr. Niyogi Amitabha ACA A-9 Government Quarters Dr. Sundari Mohan Avenue Calcutta-700 014.	08-03-95
17.	054165	Mr. Sethia Prakash Kumar, FCA Chopra House, 133 Canning Street, Room No. 15, 3rd Floor,	01-03-95	30,	082796	Mr. Kankarla Rajesh Kumar FC 33 Brabourne Road, 5th Floor, Calcutta-700 001	A 27-02-95
18.	054566	Calcutta-700 001 Mr. Das Gupta Partha FCA Falugni 58/8 Barikpara Road, P. O. Behala, Calcutta-700 034	01-04-95	31.	051658	Mr. Das Tarun Kumar ACA Om Agarwal & Associates, 24 R. N. Mukherjce Road, 3rd Floor, Calcutta-700 001	31-03-95
19.	054582	Mr. Gupta Shyam Sunder ACA G. No. 1960, Type B Sector E, Berkhera, B.H.E.L., Bhopal-462 021.	01-04-95	32.	054370	Mr. Agarwal Girdhari Lal FCA Manager H. O. & Dy. Secretary Shree Baidyanath Ayurved Bhawan, 1 Gupta Lane, Calcutta-700 006.	31-03-95
20.	054650	Mr. Jain Pawan FCA Jain Pawan & Associates Ganesh Market, 3rd Floor, 305 58/D Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001.	20-03-95	33,	054689	Mr. Mukhopadhyay Aloke Kumar, ACA Vill. Baduria, Dt. 24-Parganas North, Baduria-743 401	15-03-95
21,	054967	Mr. Roychowdhury Anindya ACA Falat 4SW, Sarobar, 102 Southern Avenue, Calcutta-700 029	16-07-93	34,	056557	Mr. Bhattacharyay Avijit ACA 21/8, Phalguni Abasan, Secotr-111, Salt 1 ake, Caclutta-700 091.	01-12-94
22.	055133	Mr. Bihani Chandra Kishor ACA C/O G. S. Rathi B 12/8 Karunamoyee Estate,	07-01-95	35.	056895	Mrs. Chowdhury Sushama ACA 5E Jayjayanti Apartment 2A Mandeville Gardens Calcutta-700 019.	
.		Salt Lake, Calcutta-700 091	·			A. K. MAZ	

		s-600 034, the 10th May 1995	1	2	3
		HARTERED ACCOUNTANTS)	15	024505	Mr. Subair N. K. ACA
lute's N 1995 it the Chi	otification N is heroby a artered Acc	1/94-95 - With reference to this Insti- lo. 3SCA(4)/4/94/95 dated 22nd February notified in pursuance of Regulation 20 of ountains Regulations, 1988 that in exer-			P.O. Box 6600 Fal Oil Co. Limited Sharjah U.A.E.
Regulati Account	lons, the C tants of Ind	conferred by Regulation 19 of the said council of the Institute of Chartered lia has restored to the Register of Memory 5th December 1994, the names of the	16	024922	Mr. Rajan S. ACA C/o Alagendran Finance & Leasing Co Ltd.
	g persons:				182 D North Veli Street Madurai-625 001.
Sl. No.	MRN	Members Name & Address	17	025040	Mr. Rengarajan S. ACA
1	008348	3 Mr. Vaidyanathan R. ΛCΛ			Chief Accountant C/O Muscat Overseas Oil & Oas P.O. Box No. 656 Postal 112 Musc Sultanate of Oman.
		No. 13, Ganapathy Colony, I Floor Opp. Cenetoph Road, II Lane Madras-600 018.	18	025610	Mr. Gollapudi Viswesswara Rao FCA Chartered Accountant
2	01/8632	Mr. Rajendra Nambiar K. T. ACA C/O Nepal Project Office I. T. C. Ltd. Makinnon Mackanzic Building			Ambal Building II Floor 727 Mount Road Madras-600 006
2	020401	16 Strand Road Calcutta.	19	025639	Mr. Sankaranarayanan V. ACA Chartered Accountant Srinidhi
3	020401	Mr. Suresh K. ACA Chartered Accountant 15/3 Oliver Road			550 K. K. Nagar Madurai 625 020.
4.	020621	Mylapore Madras-600 004. Ms. Elizabeth Cherian FCA 19 Wallace Garden	20	026271	Mr. Ompiakash K. ACA Chartered Accountant ((Aadarss" Karaparamba
		Il Street Madras-600 006.	21	026467	Kozhikode-673 010
5	020879	Mr. Seshadri C. S. FCA 267 11 Cross Wilson Gardens Bangalore-560 027.	21	026467	Mr. Ramakrishna V. ACA Chartered Accountant A-10 'Soujayna' Apurupa 'Township Jeedimeta
6 7	020959	Mr. Sundaresan V. FCA 1880 7A Main Road F Block Rajaji Nagai H Stage Bangalore-560 010. Mr. Ananda Kumar K. ACA	22	026610	Hyderabad-500 855. Mr. Ganpathy Raman K. ACA Inara Co, Ltd., Riyadh P.O. Box 8326
•	W21201	763 Anna Salai Madras-600 002.	2.1	026649	Rivadh 11482 K. S. A.
8	022129	Mr. Nanda Kumar C. FCA Chartered Accountant 882, 7th Block. U Phase Banashankari III Stage Bangalore-560 085.	2.3	020017	Mr. Anjaneyulu P. ACA Senior Manager (Accounts) Sree Bleaching Chemicals (P) Ltd. 40/304 Bhagya Nagar Kurnool-518 004.
9	022857	Mr. Suresh P. FCA Chartered Accountant No. 2, Chirakkal Buildings Tirm-676 104.	24	026735	Mr. Sankara Rao Y ACA Chartered Accountant 36-13-3 San'hi Nagar Mogahajapuram Vijayawada-520 010
10	023029	Mr. Dayakaru Reddy N, FCA Chartered Accountant 1st Floor T. Dayakara Reddy Building Aurobindo Nagar Nellore-524 003	25	027303	Mr. Murali N. ACA No. 1243 Vijina Pura A Block Behind K. R. Puram Railway Station Bangalore-560 016.
11	023399	Mr. Subbish R. ACA P.O. Box No. 670043 Mazabuka Zambia.	26	027396	Mr. Syed Feroze Peer FCA Chartered Accountant B 203 V. R. Apartments
12	024144	Mr. Sreekanth T. A. ACA Sreekalyana Punkungam Trichur 680 002	27	027786	11-4-634 A. C. Guards Hyderabad-500 004. Ms. Bhanumathy N. ACA
13	024242	Mr. Derek Joseph D. Mello FCA 1/6 Lovelock Avenue MT. Eden			Plot 54 12th Street Sector II K. K. Nagur Madras-600 078.
14	024273	Auckland New Zealand Msfl Rajita Reddy S. ACA	28	028236	Mr. Satyanarayana K. ACA Finance Manager Capol
		1-2-288/6/4 Domalguda Hyderabad-500 029,			Capoi Chirala-523-165.

1	2	3	1	2	3
29	028284	Mr. Hari R. ACA P-53 7th Main Sector 10 L.I.C. Colony Bangalore-560 075.	43	202387	Mr. Zakkir Hussain P. K. ACA "Pratheeksha" Malappuram District Eramangalam-679 587.
30	028320	Mr. Natarajan K. ACA "R. A. K. Illam" Plot No. 94, 4th Main Road Sri Ayyappa Nagar	44	202443	Mr. Venkata Ramana Mcka ACA 12-12-204 Ravindra Nagar Sectaphalmandi Secunderabad-500 361.
31	028681	Madras-600 111. Mr. Raja Manickam K. G. ACA 25M JLN Thambi Abdullah Satu Satu 50470 Kuala Lumpur Malaysia	45	203088	Mr. Ramesh J. ACA Asstt. Manager—Internal Audit Vewnkateswara Hatcheries Ltd. 9th Floor, 'C' Wing Mittal Towers Bangalore.
32	029163	Mr. Rao Kishan A ACA No. 6, Ronnie Manor Arya Samaj Road Balmatta	46	203195	Mr. Selva Ganesan P. ACA 8 Hanumar Koil Street West Mambalam Madras-600 033.
33	029192	Mangalore-575 003. Mr. Kothuri Sreenivasa Rao ACA Chartered Accountant Room No. 23, Sri Vasavi Market	47	002496	Mr. Balasubramanian Srinivasa FCA 1005, V. M. Street Mylapore Madrus-600 004.
34	029596	Bandala Bazar Guntur-522 003. Mr. Ramakrishna Reddy R. ACA Chartered Accountant	48	007173	Mr. Subbarayan B. V. FCA Chartered Accountant 33 Krishnasing Lane Ulsoorpet
		7/4/1 II Floor, V Block 59th Cross Near Bhashyam Circle Bangalore-560 010.	49	018838	Bangalore-560 002. Mr. Abdulraheem C. H. FCA Chartered Accountant 2/171 Edappally
35	029630	Mr. Rashmi R. Parekh ACA Chartered Accountant 311 Rajendara Apartments 158. Bareach Road Kellys	50	019156	Cochin-682024. Mr. Yugandhara Rao Meka, FCA 6-1-68/2, Saifabad Hyderabad-500 004.
36	029810	Madras-600 010, Mr. Shivasunder G. ACA Plot No. 211	51	019245	Mr. Palani Batcha S. FCA Chartered Accountant 8 Vyasar Street T. Nagar Madras 600 017.
37	073055	Sripuram Colony Hyderabad 500 036, Mr. Srinivas Chitta ACA 1-2-2 88/17	52	019536	Mr. Sanka Rajagopul ACA Manager (Operations) Andhra Bank Guntur Main Branch Lakshmipuram Main Road, Guntur 522 007.
38	200419	Domalguda Hyderabad-500 029, Mr. Prabhudev L. ACA	53	019688	Mr. Ravi M. ACA Chartered Accountant Sheel Markets (ME) Ltd. P.O. Box 307
		Charlered Accountant 332 5th Main West of Chord Road II Stage Mahalshmipuram Bangalore-560 086.	54	020106	Dubai U. A. E. Mr. Partha Sarathy G. FCA Chartered Accountant
39	200472	Mr. Viswanathan S. ACA Block 'C' 2, No. 3 Kuppiah Street Raj Apartments		020265	No. 4 Alamelumangapuram Mylapore Madras-600 004.
40	201289	Madras-600 033. Mr. Ramesh Babu V ACA Chartered Accountant 17 Vel Nagar	55	020265	Mr. Venkatesh S. ACA Chartered Accountant 52/B III Cross Journalist Colony Bangalore-560 002.
		(Near D. A. V. School) Adambakkam Madras-600 088.	56	020655	Mr. Lakshmana Rao M. ACA 307 Penny Street Garner N C 27529 U.S.A.
41	201369	Mr. Prabhakaran S. ACA No. 48/7 First Cross Cambridge Layout Ulsoor Bangalore-560 008.	57	021291	Mr. Antony Joseph FCA Thekkekuttiu Edathumparampu Ponkunnah-686 506,
42	201640	Mr. Ravi N. ACA Chartered Accountant 114-K 266 Mount Road Madras-600 018.	58	021489	Mr. Padmanabhan C. K. FCA Chartered Accountant K. V. R. Complex (Upstairs) Near R. K. Hospitarl Nethaji Bye Pass Road Dharmapuri-636 701

<u></u>					
1	2	3	1	2	3
59	021754	Mr. Ayyaswamy C. ACA Chartered Accountant 312 Areisa Corner Sector 17 Vashi.	73	028219	Mr. Arun Kumar R. FCA Chartered Accountant Plot No. 180 Chinthamani Street Alwar Thirunagar Madras-600 087.
60	023147	New Bombay-400 705. Mr. Sheshaigri K. V. FCA Chartered Accountant 735 Oppanakara Street III Floor Coimbatore-641 001.	74	028306	Mr. Venkatesh S. ACA B6 D28 Ajakoy Istanbul Turkey
61	023638	Mr. Ammangi U. G. ACA Chartered Accountant 1938, Kadalkar Galli Karnataka State	75	028372	Mr. Sumanth R. S. ACA Chief Accountant Modern Poultry Farms Co. Caog Post Box 2598 Postal Code 112 Sultanate of Oman,
62	024300	Belgaum-590 002. Mr. Raghavan M. V. FCA Chartered Accountant No. 10 Kalaimagal Street 4th Cross Gandhi Nagar	76	029228	Mr. Alavala Koti Reddy ACA Light-I-59 Uday Nagar New B. K. Guda Hyderabad-500 038,
63	025032	Teachers Colony Madras-600 051. Mr. Thiruthuva Doss W. A, P. FCA Chartered Accountant	77	029345	Ms. Uma Devi K. ACA 3-B Saradha 3-A Warren Road Mylapore Madras-600 004.
		672/Penial Complex R. T. O. Road Phase II Sathuvachari Vellore-632 009.	78	029457	Mr. Jeyendran N. ACA Chartered Accountant 21-B Gulmohar Apts. 15-C South Boag Road
64	026298	Mr. Jayasankar R. FCA Chartered Accountant JVI. Arcade III Floor 199 North Usman Road T. Nagar Madras-600 017.	78	029612	T. Nagar Madras-600 017. Mr. Govindarajulu P. ACA Chartered Accountant J-161, II Floor, Auto Towers No. 9, J. C. Road
65	027037	Ms. Janani Radhakrishnan FCA Chartered Accountant ,'Dwaraka" 87 VI Main Road Malleswaram Bangalore-560 055.	80	029800	Bangalore-560 002, Ms. Tadikonda Subha Lakshmi ACA 1-10-157 Ashok Nagar Hyderabad-500 029
66	027174	Ms. Sujatha Sudarshan ACA 139/6-1. Domlur Extension Bangalore-560 071	81	031197	Mr. Kannan M. ACA Chartered Accountant 20 Norton Apartments Norton Road Mandaveli
67	027460	Mr. Ajith Kumar K. A. P. Centre R. S. Road, Alwayc.	82	036508	Madras-600 028. Mr. Mani G. C. S. ACA
68	027599	Mr. Varadarajan S. ACA Chartered Accountant General Manager (Finance) Bull Power Systems (P) Ltd. 6-3-347/1/A Dwarakapuri Colony			Chartered Accountant Flat No. 111 Vijaya Mansion 1st Main 2ndn Stage Rdl. Layout Vijaya Nagar Bangalore-560 040.
69	027957	Hyderabad-500482, Mr. Vaidhyanathan R. ACA Chartered Accountant 147 Bells Road Triplicane Madjas-600 005.	83	038239	Mr. Kuriakose K. P. ACA C/O Britannia Industries Limited M. T. H. Road Padi Madras 600 050.
70	027992	Mr. Giridhar S. V. ACA Ernst & Young P.O. Box No. 140 Manama Bahtain	84	039996	Mi. Krishnan Ramachandran ACA 9/22 Zenita Flats T. M. M. Street Vannaudurai Thiruvaniyur Madras-600 04].
71	028161	Mr. Mathew Volghese ACA Managing Director O/E/N Micro Systems Limited Kannankulangara Tripunithura-682 301	85	041134	M1. Koppikar Yogin Mohan ACA Chartered Accountant B-3 Krishna Lecla 29, 8th Main Road Malleswaram Bangalore-560 003,
72	028176	Mr. Venkateshwara Rao N. ACA Chartered Accountant D. No. 14, III Floor Unity House Abids Hyderabad-500 001.	86	050079	Mr. Brahmdeo Prasad Gupta ACA Dy. General Manager (Finance) ITI Ltd. C-2126 South Avenue I. T. I. Colony Doorvani Nagar Bangalore-560 016.

	····	2	3	with the	their names		
-#	87	050205	Mr. Bindnra Deepak Raj ACA Ouest International India	S. No.	mrn	Member Name & Address	Rost, Date
	88	086067	Division of Ponds (I) Ltd. Plot No. 6 Saki Vihar Road Saki Bombay-400 072. Mr. China Venkata Chainulu Viswanadh FCA Chartered Accountant 7-1-28/4/5 Ameerpet	1.	018249	Mr. Gopalaswami K. ACA C/o AL REEF LLC P.B. No. 418 Madiwat Qaboos Postal Code 115 Sultanate of Oman	13-03-95
	89	087199	Hyderabad-500 016. Mr. Amit Kumar Gandhi ACA Manager —Citi Bank NA 5th Floor Shakthi Towers 768 Anna Salai	2.	018984	Mr. Gopala Desikan R. ACA 26 Sri Kamadhenu Nagar Avaram alayam Coimbatore 641 006	10-03-95
	90	200295	Manager—Citi Bank NA Mr. Kumar S. ACA No. 2 Govt, College Education Campus Qtrs., Teachers College	3.	024225	Mr. Sivatamakrishnan R ACA C/o Dr. T·R. Subramaniam 90 Third Street Tatabad Coimbatore 641 012.	27-03-95
	91	200636	Saidapet. Mndras-600015. Mr. Phaninder Nath P. S. ACA Chartered Accountant Plot No. 61 Avanthinagar	4.	028502	Mr. George K. Varghese ACA Alappat House Uranaltukar P.O. Opp, Adat Panchayat Office Trichur 680 551	01-03-95
	92	201195	Basheerbagh Hyderabad-500 029. Mr. Suryanarayana P. ACA Chartered Accountant	5.	029036	Mr. Govindaraj J. ACA 248 Mount Road. Madras-600 006.	24-03-95
	93	201599	C/O P. S. Bhagavanulu 18-82/4C Plot No. 215 Hanumanpet Malkajgiri Hyderabad-500 047. Mr. Anathagamanabhan G. ACA	6.	039361	Ms. Geeta Ramakrishnan Iyer, ACA B-3 Grindlays Garden 1 Haddows Rond, Madras 600 002.	10-01-95
	94	202383	F-3 S. S. Flats No. 14 Gandhinagar 2nd Crescent Park Road Adyar Madras-600 020, Mr. Bhargava Siram L. P. L. N. ACA	7.	044417	Mi, Rami P. ACA Fiat No. 301 Balaji A Apartmints Anand Nagar Khairatabad	24-11-94 s
			2-12-23 Urvasi Building Gandhi Nagar Tenall-522 201.	8.	053262	Hyderabad 500 004. Mr. Epari Krishna Mohan, ACA Reading & Bates Exploration Co	
	95	202663	Mr. Gopalakrishna Gupta E. S. ACA Charlered Accountant 283 9th Main Road 2nd Cross Hanumanthanagar Bangalore-560 019.			Bhawani Mansion II Floor 3rd 4th Lane Nungambakkam High Road, Madras 600 034.	
	96	202847	Mr. Gopinath Krishnan ACA 8/1 Sultan Palaya 1st Main R. T. Nagar P.O. Bangalore-560 032.	9.	071370	Mr. Mahendra Kumar, ACA C/o Madan Singhiji Rathore 5/17 Chopasni Housing Board 5th Pulia Jodhpur Rajasthan.	05-01-95

A. K. MAJUMDAR Secretary

260164

The 22nd May 1995 (Chartered Accountants)

No. 3SCA(5)/12/94-95—With reference to this Institutes Notification Nos. 3SCA(4)/3/93-94 dated 11th Jan. 1994 3SCA(4)/3/92-93 dated 27th Nov. 1992 3WCA(4)/5/92-93 dated 1st Dec. 1992 and 3WCA(4)/3/93-94 dated 2nd Dec. 1993 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members

A.K.MAJUMDAR Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 016, the 26th May 1995

No. 11-CWR (148-150) 95.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulation, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri Om Prakash Gupta, BCOM, MA, LLB, AICWA, BM-23, (Poorvi) Shalimar Bagh, Delhi-110052 (Membership No. 1522) is cancelled from 6th March 1995 to 30th June 1995 at his own request (2) Shri T. S. Nagasundaram, MA, MSC, FICWA, 99, Fourth Cross, Arakere Mico Layout, Bannerghatta Road,

Bangalore 560 076 (Membership No. 3606), is cancelled from 8th April 1995 to 30th June 1995, at his own request, and (3) Shri Adinath Banerjee, BSC, FCS, AlCWA P-130, Lake Terrace, Calcutta 760 029 (Membership No. 4265) is cancelled from 19th may 1995 to 30th June 1995, at his own

S. R. ACHARYYA, Secv.

No. 16-OWR (1189-1192)/95.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri Biman Bihari Bhaumik, BSs, AlCWA, Udayachal 204/D, Biren Roy Road East, Calcutta-700008 (Membership No. 1708), with effect from 27th January 1995 (2) Shri N. Suryanarayanan MA. AlCWA, 58, Gampathi Iyer Gaidens Colony, Thiruvanaikoil. Tiruchirapalli-620005 (Membership No. 5822) with effect from 5th January 1995 (3) Shri P. Raman, BCOM, FICWA, House No. 438 Krishna Kummencherry Mukh, Cochin-682022 (Membership No. 1015) with effect from 4th March 1995 and (4) Shri Swapan Kumar Ray, BSc, AlCWA, 3-3-1-N, Putiari Banerjee Para Road, Calcutta-700041 (Membership No. 5277) with effect from 18th March 1995, on account of death. 18th March 1995, on account of death.

S. R. ACHARYYA, Secy.

No. 18-CWR (299)/95.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountents Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has researed to the Register of Members, the name of Shira 17C. tored to the Register of Members, the name of Shri Sethuraman, BCOM, AICWA, A-4, 'Krishna' Plot Bangur Nagar Goregaon (W), Bombay-400 090 (Men ship No. 3378) with effect from 7th April 1995. Plot 17C, (Member-

S. R. ACHARYYA, Scey.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION New Delhi, the 31st May 1995

(MECONTR) (MECONE METER) 在1981年代第一年(「FET CONTROL CONTROL METER METERS (METERS) (METERS)

No. N-15/13/1/1/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the data from which the medical handles as laid down in the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely:—

"The area falling within the limits of Junkampet revenue village of Yedpally mandal of Nizamabad Dist".

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/5/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regula-tions, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the fellowing area in the State of Andhra Pradesh namely :-

"The areas falling within the revenue Village Chabolu in Nandyal Mandal of Kurnool Dist."

No. N-15/13/1/9/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-p5 as the dute from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :-

"The areas falling within the limits or revenue Villages of Raigiri, Jammapur and Anantaram in Bhongir Mandal of Nalgonda District."

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/12/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely:—

"The areas falling within the revenue Viliages of Boduppal, Pitzadiguda, Medpally, Miapur Gulmaliguda of Uppal Mandal of R. R. Dist." and

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/13/95-P&D.—In pursuance of powers conterred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :--

"The areas falling within the revenue Villages of Veerava-ram, Jegurupadu in addition to the hamlet of Madhavaraidu palem, where the ESI Scheme is already in force and Damireddypalli in Kadiyam, Mandal of East Godavari District".

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/17/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely: area in the State of Andhra Pradesh namely :-

"The areas fulling within the revenue Villages of Pydipulli and Arepalli in Hanamkonda Mandal and Hasanparthy in Hasanparty Mandal of Warangal Dist".

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION CENTRAL OFFICE

New Delhi-110015, the 13th June 1995

No. Conf. 5(10)94/OR/1408.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Imployees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the Notification No. Conf. 5(10)87/OR/10086 dated 31-12-90 issued by the Central Provident Fund Commissioner, published in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated the 19th January 1991, the Chairman, Central Board of Trustees Employees Provident Fund hereby sets up a Regional Committee of the State of Orissa consisting of the following persons namely:—

CHAIRMAN

1. Secretary, Labour and Employment Department, Government of Orissa, Bhubaneshwar.

(Appointed by the Chairman of the Central Board)

MEMBERS

2. Labour Commissioner, Government of Orissa, Bhubaneshwar.

> (Two officials appointed by the Chairman of the Central Board on the recommendations of the State Government.)

3. Chief Inspector of Factories and Boilers, Orissa,

Bhubaneshwar,

(Two officials appointed by the Chairman of the Central Board on the recommendations of the State Government.)

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

4. Shri G. S. P. Sinha, President, Utkal Chamber of Commerce and Industry, Cuttack.

(Three representatives of employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employers in the State.)

5. Shri V. D. Bajaj, Vice President (Works) M/s. J. K. Paper Mills. Jaykaypur, Raygada.

(Three representatives of employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employers' in the State.)

Shri S. B. Mishra Plot No. 704, Sahid Nagar, Bhubaneshwar-751007.

(Three representatives of employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employers' in the State.)

EMPLOYEES REPRESENTATIVES

7. Shri Ram Chander Khuntia, President, INTUC, Orissa Branch, Bhubaneshwar, At/PO Jajpur Road, Jajpur

(Three representatives of employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employees' in the State.)

8. Shri Jogendra Tripatily, Advocate

Advocate

H.M.S. At/PO Dhenkanal, Orissa.

(Three representatives of Employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employees' in the State.) Shri Sambhunath Nayak, U.T.U.C. (LS), 3R M.L.A. Colony, Bhubaneshwar.

> (Three representatives of employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employees in the State.)

10. Regional Provident Fund Commissioner in-change of the Region shall be the Secretary to the Regional Committee.

> H. W. T. SYIEM Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th July 1995

No. V.26017/5/90-AE.—In exercise of the powers conferred by clause (i) (j) & (k) of Section 36 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendment in the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Regulations, 1979, namely:—

- 1. These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Amendment Regulations, 1994.
- 2. They shall come into force from the 1st day of July, 1994, in the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Regulations, 1979, for Appendix-1, the following Appendix shall be substituted, namely:—

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

MINIMUM STANDARDS AND CURRICULUM FOR POST GRADUATE COURSE IN AYURVEDA

1. AIMS AND OBJECTS:

The aim of the Post-graduate degree course shall be the orientation in specialities and super specialities and to produce experts and specialities who can be competent and efficient teachers, clinicians, surgeons, pharmaceuticals, re-search workers and profound scholars in the respective field of specialisation of Ayurveda.

SPECIALITIES IN WHICH POST-GRADUATE DEGREES CAN BE CONDUCTED

- 1. Ayurveda Siddhanta and Darshana
- Samhitas (a) Charaka Samhita (b) Sushruta Samhita
 - (c) Astang Hridaya—Astang Sangraha
- 3. Rachna Sharir
- 4. Kriya Sharira (Dosh Dhatu Mala Vigyan)
- Dravya Guna Vigyan
- 6. Ras Shastra
- 7. Bhaishajya Kalpana
- 8. Prasuti Tantra & Stri Roga
- Kaumar Bhritya
- Kayachikitsa
- 11. Swasthavritta
- 12. Rog Nidan-Viktitî Vigyan
- Manovigyana
- 14. Shalaya Tantra
- Shalakya Tantra
- 16. Panch Karma

- 3. The nomenclature of Post-graduate Degree in respective specialities shall be as follows:---
 - 1. Ayurveda Vachaspati MD (Ayurved Sidhanta)
 - 2. Ayurved Vachaspati MD (Samhitas)
 - 3. Ayurved Vachaspati MD (Rachana Sharir)

- 4. Ayurved Vachaspati MD (Kriya Sharir)
- 5. Ayurved Vachaspali MD (Dravya Guna)
- 6. Ayurved Vachaspati MD (Ras Shastra)
- 7 Ayurved Vachaspati MD (Bhaishajya Kalpana)
- 8. Ayurved Vachaspati MD (Kaumar Bhritya)
- 9. Ayurved Vachaspati MS (Prasuti Tantra & Stri Roga)
- 10. Ayurved Vachasputi MD (Swastha Vritta)
- 11. Ayurved Vachasp ti MD (Kayachikitsa)
- 12. Ayurved Vachaspati MD (Rog Nidan)
- 13. Ayurved Vachaspali MS (Shalaya Tantra)
- 14. Ayurved Vachaspati MS (Shalakya Tantra)
- 15. Ayurved Vachaspati MD (Mano Vigyan)
- 16. Ayurved Vachaspati MD (Panchkarma)

4. ADMISSION

ELIGIBH ITY

- 1. The degree in Ayurveda of a University/Statutory Body included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970.
- 2. Only those who have passed all the examinations at degree level in first attempt shall be eligible for admission

MODE OF ADMISSION

- 2. (1) There shall be an admission committee consisting of following:
 - (i) Dean

Chairman

(ii) One Principal of upgraded PG College or Centre by rotation if more than one in the Faculty.

Member

(iii) Two Senior Heads of PG department by rotation,

Membe

(iv) One expert of the subject concerned nominated by the University.

Member

(2) The selection shall be made strictly on the basis of merit based on the performance in the qualifying examination.

o

The selection shall be made strictly on the basis of one common final merit index based on written test and interview on the tests of the following index:—

- (a) Written Test Index (to be calculated out of 90 marks)
- (b) Interview Index (to be calculated out of 10 marks) Final Index 100 marks)
- (3) The candidate shall not be allowed to change their subject option in any case. The subject allotted strictly based on metit shall not be changed in any case and it shall be declared at the time of admission.
- (4 The minimum marks in the final index for eligibility for admission shall be 50% (40% in the case of reserved categories).

- (5) The sponsored/deputed candidate will be required to possess the qualification essential for admission and be will also be required to complete amongst themselves and secure minimum qualifying index.
- (6) The written test shall consist of one common written paper comprising of objective type of question covering all the subjects of Ayurveda. The details of which shall be decided by the Selection Committee constituted for the purpose or laid down in the rules of the prospec us of studies.
- (7) The number of the candidates to be called for interview (on the basis of the marks obtained in the written test) shall not exceed three times the number of sents advertised. The same rule will apply to SC/ST quota also.
- (8) The name of the candidates for interview will be intimated to the interview committee without indicating the marks obtained in the written test,

PERIOD OF STUDY AND ATTENDANCE

- (1) The candidates have to undergo a period of sludy for three years after admission, out of which one year shall be devoted to Preliminary course and next two years devoted to Speciality Course.
- (2) The students will be required to altend alleast 75% of total fectures, practicals and clinicals separately to become eligible to appear in the examination
- (3) The students will be required to at end the hospital and other duties as may be allotted to them during the course of str dy. All the students will be required to do House Job duties and clinical Registrar's duties in their respective departments during preliminary and final courses respectively.
- (4) The students will also be required to attend special lectures, demonstrations. Seminars, Study tours and such other activities which may be arranged by the teaching departments.
- (5) No relaxation in period of study shall be given to a candidate who have already obtained Post-graduate degree in one speciality and thereafter, desires to undergo Post-graduate course in other speciality.
- (6) The teachers having a three years teaching experience can be allowed to undertake Post-graduate training as regular candidate. No relaxation in the duration of study will be made to inservice Physician/teachers.

METHOD OF TRAINING

- (1) Intensive training will be given in classicat knowledge alongwith comparative and critical study in the respective speciality.
- (2) The emphasis should be given on in-service training and not in didactic lectures.
- (3) The candidates are required to know about the method and technique of research work done in the respective fields
- (4) The training requires in such a pattern 80 as to be given graded responsibility in management and treatment of patients entrusted to his care and to deal emergencies.
- (5) The candidate should be required to participate in the teaching and training programmes of Under-graduate students or interns in their subjects.
- (6) In the first year period the emphasis should be given to give adequate knowledge in the applied aspects of the fundamental of all the subjects of Ayurveda and adequate training in the basic science of medicine in all its applied and comparative aspects relevant to the speciality concerned with special reference to the fundamentals of Ayurveda.
- (7) The Clinical training should aim to extend the knowledge of the candidate to undertake independent work as a specialist.

- (8) In the specialities of Shalya Shalakya and Prasuti Tantra, the practical training should aim in cliciting knowledge on investigative procedures, techniques and surgical performance so that the candidate may be capable to undertake independent work in surgical procedures and their management in the respective speciality.
- (9) The thorough and intensive training on a planned programme should be given to the students during all stages of the course and such programme should be available for the inspection and scrutiny of the Central Council of Indian Medicine.
- (10) Adequate training in teaching technology and research methods should be undertaken during the course of studies.

THESIS

- (1) Before a candidate is allowed to undertake the work of thesis, the title of the thesis should be registered with the University within the six months of admission and the synopsis should be approved at the end of preliminary year.
- (2) The application of registration of the title of the thesis should clearly mention the full title of the thesis with a synopsis of the proposed scheme of work indicating the faimilarity of the candidate with the proposed theme of work and the name of the department and the name and designation of the guide/supervisor and co-guide.
- (3) Once the title for thesis is approved, the candidate will not be allowed to change the fille or the proposed theme of work.
- (4) The registration of the candidate will be cancelled if the candidate fails to submit the title of thesis alongwith synopsis within the specified period as mentioned above.
- (5) No candidate shall be allowed to submit the thesis before the expiry of one calandar year registration of the title of the thesis and before six months of the final year.

The subject of the thesis must be related with the subject matter of the speciality offered by the candidate

- (6) The thesis should place on record the methods and potentiality of the research carried out by the candidate on the problem selected by him and completed under the guidance of the teacher approved by the University.
- (7) The thesis should consist of critical survey of relevant literature, research, results of the research discussion on the basis of existing literature on the subject, conclusion, summary of thesis and references cited in the thesis.
- (8) There will a Scrutiny Committee constituted as per rules laid down by the University or in the ordinance which will scrutinise and approve the title of the thesis and proposed scheme of work submitted as per rules. The subject of every thesis should be practical oriented, devoid of unpromising specialities and should be helpful in the development of service of Ayurveda.
- (9) The thesis ordinarily consist of exceeding 200 typed pages. The thesis should contain at the end a summary of not more than 1500 words covering the conclusion drawn by the candidates.
- (10) The guide/supervision shall be a person of status of a Professor/Reader possessing at least five years Post-graduate teaching experience in the subject A Professor and a Reader can guide in maximum three and two students respectively in each academic year. A lecturer with seven years Post-graduate teaching experience can guide one candidate in each academic year.
- (11) The thesis must be satisfactory as regards literary presentation and suitable for publication either as such as in an abridged form.
- (12) Four copies of the bound thesis together with one certificate or certificate from the supervisors or supervisor must reach the office of the Registrar three months before the final examination.

- (13) The thesis shall be assessed by four examiners appointed by the University, two of them will be external and two internal. One of the internal examiners of the thesis should be the Chief Supervisor under whom the candidate has worked for the thesis.
- 14) The thesis shall only be accepted after unanimous approval by the examiner appointed to examine it.
- (15) If the thesis is not accepted it will be referred back to the candidate with the remarks of the examiners and the candidate can resubmit the thesis, after making necessary improvements in the light of the examiners' report to the University but not beyond a further period of six months.
- (16) The candidate shall be permitted to appear at II examination post-graduate degree in Ayurved consisting of theory, oral and practicals including clinical only after the thesis has been approved by the examiners appointed for the purpose.
- (17) One copy of the Synopsis of the title of thesis shall be submitted to the Registrar. Central Council of Indian Medicine as soon as the title is approved. One copy of the accepted thesis will be lodged in the library of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi.

EYAMINATION AND ASSESSMENT

The Post-graduate degree shall have two examinations as follows:

- 1. The preliminary examination, at the end of one academic year after admission conducted by the Institution.
- 2. The final Examination at the end of two acedemic years, after the First examination.
- 3. The Final examination will be held after completing two calandar years after passing preliminary examination and the candidates can avail of a maximum of two chances. The Final examination will be held twice at interval of six months.
- 4. No marks will be allotted in any part of the examinations. Results will be announced as passed or failed after the consideration of the results committee consisting of all the Examiners concerned in unanimously.
- Examination will ordinarily be held in the month of May-June and October-November every year.
- 6. For being declared successful in the examination, the candidate shall have to pass all the subjects separately.
- A candidate need not appear in the subsequent chances in subject or subjects if he has already been declared successful.
- 8. If a candidate fails in one subject only, he shall have to pass in the subject before he is allowed to appear in the Final Examination.
- If the candidate fails in the theory and practical of Final examination, the candidate can appear at the subsequent examination without requiring to submit a fresh thesis.
- 10. The Post-graduate degree shall be conferred on the candidate after the acceptance of the thesis and after the candidate has passed the final examination in the speciality by the candidate.

ASSESSMENT

11. (a) The examination should be maded to test the candidate's clinical acumen and his ability and working knowledge in the practical aspect of the speciality and his fi'ness to work independently as a specialist. (b) The clinical examination should aim at a careful and searching assessment of the competence of the candidate. His familiarity with Ayurvedic and scientific literature in the speciality

should be judged. (c) The viva-voce part of the examination should be extensive and involve the discussion on any aspect of the speciality.

SUBJECTS

- (A) Fretiminary Examination—. The Preliminary Examination v_i the end of one academic year after admission shall be in the following subjects:
 - 1. Medical Statistics and Research Methodology.
- 2. Fundamentals of Non-clinical subjects of Ayurveda with an emphasis on Applied aspects alongwith relevant studies of fundamentals of basic Sciences of Medicine.
- 3. Fundamentals of Clinical subjects of Ayurveda, with emphasis on applied aspects alongwith relevant studies of Fundamentals of basic Sciences of medicines
- 4. The candidate shall have to go the training in the department concerned for the speciality opted by the candidate as under:—
 - (a) Regular clinical training in the Hospital.
 - (b) Practical training of research work carried out in the department.
 - (c) Study of literature related to speciality.
 - (d) Active participation in various Seminars, Symposiums and Discussions.
 - (c) Finalisation of Topic of thesis and synopsis thereof. The assessment of the work done during the first year on the above points shall be done at the time of Preliminary examination.
- (B) Final Examination.—The Final Examination shall consist of (i) Thesis (ii) Written papers (iii) Clinical, Oral and Practical examination as the case may be.

There chall be four theory papers in each speciality and one practical/clinical and viva-voce in any one of the speciality or group of the speciality selected by the candidate for special study.

SCHEME OF EXAMINATION

The scheme of the preliminary examination and final examination followed by practical/clinical/oral examination shall be as detailed below:—

CRITEFIA OF EXAMINERS

- 1. The examination shall not be approinted for a period of more than three years at a time. He may be reappointed after an interval of two years.
- 2. The examiner must have a teaching experience of Post-graduate classes in the subject. Five years PG teaching experience for Professor and Reader and seven years PG teaching experience for Lecturer is essential.

MEDIUM OF INSTRUCTIONS

Medium of instruction shall be Hindi, English or Sanskrit. Preference should be given to Sanskrit.

MINIMUM REQUIREMENT FOR POST-GRADUATE DEGREE TEACHING CENTRE

- 1. The Centre must satisfy the minimum requirements for Under-graduate training as prescribed by the Central Council of Indian Medicine and in addition must fulfil additional requirements of Post-graduate training depending on the type of work covered out in the department.
- 2. Facilities regarding training in Basic Sciences of Ayurveda and Medicine related to the subjects of training as recommended by the Central Council of Indian Medicine should be provided.
- 3. All the facilities of ancillary department should be available for co-ordination of training.

- .4. The institution should have adequate equipments and research facilities in the related speciality and subject.
- 5. The institution should have adequate equipments and research facilities in the related speciality and subject,
- 6. The institution must have a fully equipped hospital consisting of at least 150 beds with adequate facilities in specialities. However, there should be 10 beds per student in the clinical subjects.

FACILITIES FOR POST GRADUATE STUDENTS

The stipend and contingency should be provided at the rates prevailing in the State for other medical Post-graduate students. The Council shall regard it an essential facility which should invariably 6 provided to Post-graduate students in the subjects of Ayurveda.

STUDENT TEACHER RATIO

The student teacher ratio should be such that the sumber of Post-graduate teachers to the number of Post-graduate students admitted per year be maintained at 1:1. Where the number of Post-graduate teachers is less than 3 per unit. then the number of students should be reduced so as to keep the ratio to one student per teacher per year. It shall be applicable also where the posts are lying vacant and the number of students admitted shall not exceed to the above mentioned yardstick.

The extra staff required for conducting Post-graduate course in addition to the prescribed under the minimum Standards & Requirements laid down for Under-gratuate course shall be as follows (Department wise):—

Name of Department	Professor	Reader	Lecturer
1. Ayurved Sidhanta & Darshan	1	2	4
2. Samhitas	1	3	3
3. Rachana Sharir	1	2	4
4. Kriya Sharir	1	2	4
5. Dravya Guna Vigyan	1	2	4
6. Ras Shastra	1	2	4
7. Bhaishajya Kalpana	1	2	4
8. Prasuti Tantra & Stri Roga	1	2	4
9. Kaumar Bhritya	1	2	4
10. Kayachikitsa	1	3	4
11. Swasthavritta	1	2	4
12. Rog Nidan, Vikriti Vigyan	1	2	4
13. Manovigyan	1	2	4
14. Shalya Tantra	1	2	4
15. Shalakya Tantra	1	2	4
16. Panchkarma	1	2	4

- Note: 1. The teacher involved in Post-graduate teaching shall necessarily be recognised by the University as Post-graduate teachers in specific subject.
 - 2. Wherever necessary the help of experts belonging to other disciplines may be taken.
 - 3. In clinical department one Registrar should be appointed for twenty indoor beds.

OUALIFICATIONS FOR POST-GRADUATE TEACHERS

- 1. The person should possess Post-graduate degree in the subject.
- 2. For the post of Professor, the teaching experience in the subject in Post-graduate degree course of seven years shall be required.

- 3. For the post of Reader, the teaching experience in Post-graduate course in the subject for five years as Lecturer shall be essential.
- 4. For the post of Lecturer, the person should possess the Post-graduate degree in the subject alongwith three years teaching experience in the subject in a recognised Undergraduate institution of a University.

CRITERIA FOR RECOGNITION

The post-graduate course₃ in any department in any institution can not be started by any University or body without having prior permission of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. The following criteria is to be fulfilled prior to getting recognition by the CCIM.

- 1. A Post-graduate course shall be started in a place where Under-graduate course already exists.
- 2. The institution must satisfy the minimum requirements for Under-graduate training as prescribed by CCIM.

- 3. Facilities regarding clinical training, research facilities teaching staff and equipments etc. as laid down by CCIM for the related specialities.
- 4. The hostel facility to all the Post-graduate boys and girls students.
- 5. The qualification laid down for teaching staff is to be essentially fulfilled.
- 6. Facilities of stipend and contigency fund must be the same as admissible to the Post-graduate students of medical PGs of the State.
- 7. Modifications and additions cannot be made in the Syllabus, pattern of examination, and on other matter laid down by CCFM in the Curriculum & Syllabus.

RAJ KUMAR JAIN Secy.

Central Council of Indian Medicine New Delhi

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt, the 15th July 1995

No. Wakf/45/Gen/Pub/Gazette/498/95—In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1994 which are exerciseable by me under the delegated powers by the Administrator, Punjab Wakf Board, under Section 22 of the Wakf Act, 1954 Properties are hereby declared as Sunni Wakf.

S. No.	Name of Wakf	Distt./Tehsil	Village	Kh. No.	Агеа	Value	Nature and object of Wakf.	How the Wak is administrated.	f Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. T	akia	Amritsar/Ajnala	Dala HB. No. 184	28	KM		Religious		Sunni-wakf PWB Ambala Cantt.
				4	7—12				
				7	74				
				8	7—12				
				13 14	7—12 8—0	1 (0.000			
				14	0—U	1,10,000			
					38-0				
	Khanqah Malang- Shah	Do.	Do.	28					
				9	80				
				12	80				
				19	77				
				20	77				
				16	6—19				
				17	6—12				
					44.5	1,25,000	Do.	Do.	Do.
3.	Grave-Yard	Jullundur/Jullundur	Chuharwali	64	32.4	1,61,000	Do.	Do.	Do.
			H.B. No. 167						
4.	Do	. Amritsar/Ajnala	Boregill						
			H.B. No. 247	73	4.6				
				75/1	1.9	50,000	Do.	Do.	Do,
					5.15	,000	201	20.	Д0,
5.	Do	Do.	Thoba	400	48.44	1.00.000	-	_	
			HB. No. 98	109	12—16	1,00,000	Do.	Do.	Do
6.	Do	. Mohindergarh/	Narnaul	2900	BB	2.00.000	D -		_
		Narnaul.			316	3,00,000	Do.	Do.	Do.

1	2		-3-	- ·	· ·	.	T			π−
7.	Grave-Yard .	, Sola	ın/Solan	Basal	2110/2003 Old (851 Min New)	B—B 0—17 (765 Sq. Yds.)	5,00,000	R ·ligious	PWB Ambala Cantt	Sunni-wakf
8.	Mosque-Cum- Madarsa. Islamia-School	, Una	a/Bangana	Gharwasra	589 Min	K M 1-0 (384 Sq. Mts.)		Do.	Do.	Do .
9.	Grave-Yard .		undur/ lundur.	Bambian Wali. HB. No. 235	54	K M 312	14,000	Do.	Do.	Đo
10.	Mosque .	•	Do.	Do.	1 61	018	18,000	Do.	Do.	Do
11.	Grave-Yard .		Do.	Nauli HB. No. 180	59	0 7	45,00	Do.	Do.	Do.
12,	Takia , .		Do.	Do.	42					
13.	Grave-Yard		ritsar/ a-Bakala	Rajpur Butala HB. No. 91	8/1 9/3 12/2 170 171	4—0 0—16 3—4 8—0 2—6 10—16 13—2	1,00,000 75,000	Do	Do. Do	Do.

NOTE: Serial No. 1—12 are Takia according to Jamabandies, 1966-67, 1991-92. Serial No 2 is a Khanqah according to Jamabandi, 1966-67, Serial No. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, are Grave-Yard according to Jamabandies 1958-59, 1989-90, 1988-89, 1969-70, 1960-61, 1984-85, 1991-92, 1988-89, and Serial No. 8 and 10 are Mosque according to Jamabandies 1990-91, 1984-85 respectively. These have been entered in the Kitab-ul-Aukaf and Registered as Wakf properties under Section 26 of the Wakf Act 1954.

Sd/- ILLEGIBLE Secretary, Punjab Wakf Board Ambala Cantt.

प्रबन्धक, भारत सरकार मृद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मृद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995 Printed by the Manager, Govi. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995